Con. 3. 4. 9. 47
750

अंक 4

संख्या 9

बृहस्पतिवार
24 जुलाई,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद

के
वाद-विवाद
की
सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर	1
2.	स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव	1
3.	संघीय विधान की रिपोर्ट—(जारी)	2

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, 24 जुलाई सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक दस बजे कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में बृहस्पतिवार 24 जुलाई 1947 को माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

***अध्यक्ष:** मुझे ज्ञात हुआ है कि एक सदस्य ने अब तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या वे कृपा करके अब रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर देंगे?

इसके बाद निम्नलिखित सदस्य ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

श्री शमशेर जंग

स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव

***अध्यक्ष:** स्टीयरिंग कमेटी (कार्य संचालक समिति) के लिये कुछ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में श्री सत्यनारायण सिनहा की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। क्या वे कृपया उसे पेश करेंगे?

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम में जो प्रस्ताव है, वह इस प्रकार है:

"निश्चय किया गया कि यह परिषद् विधान-परिषद् की नियमावली के नियम 40(5) में उल्लिखित विधि के अनुसार स्टीयरिंग कमेटी के दो सदस्यों का निर्वाचन करती है।"

इस परिषद् के दो माननीय सदस्यों, मौलाना अबुलकलाम आजाद और श्रीमान ने इस विधान-परिषद् से इस्तीफा दे दिया है और इसलिये रूल्स आफ प्रोसीजर (कार्य विधि सम्बन्धी नियम) के अनुसार अब वे स्टीयरिंग कमेटी

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

के भी सदस्य नहीं रहे, जिसके लिये इस परिषद् द्वारा वे चुने गये थे। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाये। जिस तरीके से निर्वाचन किया जायेगा, उसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे।

***अध्यक्षः** क्या कोई सदस्य इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता है?

***माननीय सदस्यः** नहीं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** स्टीयरिंग कमेटी के दो रिक्त स्थानों के लिये कल एक बजे तक नाम पेश किये जायेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव 26 ता. को अण्डर सेक्रेटरी के कमरा नं. 24 में, जो कौंसिल की निचली मंजिल पर स्थित है, दोपहर बाद चार बजे होगा। चुनाव एकाकी हस्तान्तरित मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा।

संघीय विधान की रिपोर्ट–(जारी)

अध्यक्षः अब हम संघ-विधान के भाग 14 के खंड 1 पर बहस करेंगे।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): मेरे उस प्रस्ताव का क्या हुआ, जो मैंने आज प्रातःकाल के अधिवेशन के सम्बन्ध में पेश किया था?

***अध्यक्षः** मेरा ख्याल है कि वह कल के लिये है।

***श्री श्रीप्रकाशः** मुझे खेद है।

***माननीय सर गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): एक संशोधन बाकी है जो पेश नहीं किया गया।

***अध्यक्षः** बहुत से संशोधन हैं, जो अब तक पेश नहीं किये गये। मैं उन्हें लूंगा।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मुझे इस विषय में व्यवस्था सम्बन्धी एक आपत्ति है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विधान परिषद् के कार्यालय ने उन संशोधनों

को जो तीन या चार दिन पूर्व पेश किये गये थे–सदस्यों के पास नहीं भेजा है, क्योंकि आपने उस तारीख से पहले संशोधनों के सम्बन्ध में एक अवधि निश्चित कर दी थी। परन्तु आपने यह व्यवस्था दी है कि यदि प्रस्ताव पेश करने से कम से कम एक दिन पहले किसी संशोधन के सम्बन्ध में सूचना दी जायेगी तो हमें संशोधन पेश करने की इजाजत होगी। अन्यथा, संपूर्ण वाद-विवाद व्यर्थ हो जायेगा। क्योंकि जब हम किसी विषय पर बहस करते हैं तो उसमें कुछ संशोधन आवश्यक हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक संशोधन पेश करने की सूचना सोमवार को दी थी। यह संशोधन मैंने मित्रों से विचार-विनिमय करने के बाद पेश किया था। इसके अलावा यह संशोधन मुझे इसलिये भी पेश करना पड़ा, कि उसका मसविदा अपूर्ण था। परन्तु उसे सर्वथा प्रचारित नहीं किया गया। जब मैंने इस बारे में पूंछताछ की तो मुझे बतलाया गया कि उन्हें केवल कार्यालय में नत्थी करके एक ओर रख दिया गया है और उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा विचार है कि यदि यही हाल रहा तो हमें बड़ी कठिनाइयां पेश आयेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में कोई व्यवस्था देंगे।

***अध्यक्ष:** मैंने संशोधन पेश करने के बारे में सदस्यों को काफी समय दे दिया है और हम संशोधनों की उस सूची से, जो प्रचारित की जा चुकी है, भली भांति जान सकते हैं कि विभिन्न खंडों के सम्बन्ध में हमारे पास बहुत से संशोधन आये हैं। मुझे बताया गया है कि उस अवधि के बाद भी जो मैंने निर्धारित की थी, बहुत से संशोधन आये हैं। यदि परिषद् चाहे तो मेरे पास इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं कि मैं उन संशोधनों को भी प्रचारित कराऊं, परन्तु उस हालत में हमारे लिये उन पर सोच-विचार करना बड़ा कठिन हो जायेगा, क्योंकि संशोधनों का तांता सा बंध जाता है और वे अबाध रूप से पेश किये जाने लगते हैं। इसलिये हमें संशोधन पेश करने की एक निश्चित अवधि पर डटे रहना चाहिये।

***एक माननीय सदस्य:** निश्चित अवधि तो स्वत: निर्धारित हो जाती है, जब हम उन पर सोच-विचार करते हैं।

***अध्यक्ष:** तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे-जैसे संशोधन पेश होते रहेंगे, उन सभी को प्रचारित करना पड़ेगा।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): प्रत्येक धारासभा में यही प्रथा प्रचलित है। श्रीमान्, बड़े आदरपूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

आपने जो व्यवस्था दी है, वह नियम संख्या 32 के प्रतिकूल है। नियम 32 के उप–खंड (3) में कहा गया है कि अध्यक्ष की आज्ञा के अतिरिक्त किसी भी संशोधन के सम्बन्ध में नोटिस प्रस्ताव पेश होने से कम से कम एक दिन पहले दी जानी चाहिये। प्रत्येक खंड परिषद् में पेश किया जाता है और जब उस पर बहस चल रही होती है और सदस्य संशोधन पेश करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं तो हम वास्तविक बहस शुरु होने से चौबीस घंटे पहले ही उस सम्बन्ध में सूचना दे देते हैं। बस, हमें सिर्फ यही करना होता है। श्रीमान्, मेरा यह विचार है कि हम दो दिन का समय नहीं निर्धारित कर सकते। इसका मतलब तो सारे विषय को रस्मी और निर्जीव बना देना होगा। यदि संशोधनों की व्यवस्था करने के लिये काफी कर्मचारी नहीं हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि करनी होगी, न कि हमारे अधिकार कम किये जायें।

***अध्यक्ष:** मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति जिसे धारासभाओं के काम का अनुभव हो मुझे विस्तृत रूप से अवगत कराये। मैं जानना चाहता हूं कि साधारणत: किस तरीके पर अमल किया जाता है। शायद श्री पुरुषोत्तमदास टंडन इस विषय पर प्रकाश डाल सकें। प्रतिदिन बहुत से संशोधन आते रहते हैं, उन पर सोच-विचार करने का साधारण तरीका क्या है?

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): श्रीमान्, साधारण प्रथा यह है कि जब बिल पर सोच-विचार हो रहा होता है तो संशोधन पेश किये जाते हैं लेकिन प्रत्येक संशोधन, विशिष्ट वाक्य खण्ड पर सोच-विचार किये जाने से कुछ समय पूर्व कार्यालय में पेश करना होता है। मिसाल के तौर पर, यदि आप किसी वाक्य खण्ड पर आज बहस कर रहे हैं और नियम के अनुसार संशोधन पेश करने के लिये 48 घण्टे का नोटिस देना आवश्यक है तो संशोधन, धारासभा के कार्यालय में बहस से अवश्य ही 48 घण्टे पूर्व भेज दिया गया होगा–अर्थात् आज जिस समय उस पर बहस की जायेगी। बस, इतना ही काफी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी संशोधन बिल पर बहस होने से पहले कार्यालय में पहुंचाये जायें।

***अध्यक्ष:** तो हम उसी कार्यविधि पर आचरण करेंगे और जिन संशोधनों के सम्बन्ध में हमें नियम 32 के अन्तर्गत समय पर नोटिस मिल जायेगा, उन्हें प्रचारित कर दिया जायेगा।

***डा. पी.एस. देशमुख** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, क्या उस अवस्था में, मैं खण्ड 1 के सम्बन्ध में अपना संशोधन पेश कर सकता हूं जिसकी सूचना मैंने सोमवार को दी थी?

***अध्यक्ष:** जहां तक खण्ड 1 का सम्बन्ध है, वह कई दिन पहले पेश हुआ था और उसके पेश होने के बाद जिन संशोधनों की सूचना दी गई है, उन पर बहस नहीं की जा सकती।

अब हम दूसरे संशोधनों पर सोच-विचार करेंगे।

श्री चन्द्रशेखरिया ने अपने दोनों संशोधन कल पेश किये थे।

क्या श्री ए.के. घोष अपना संशोधन संख्या 96 पेश करना चाहते हैं?

***श्री ए.के. घोष** (बिहार : जनरल): नहीं।

***अध्यक्ष:** सर एन. गोपालस्वामी आयंगर को एक संशोधन पेश करना है।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** श्रीमान्, मेरे संशोधन का आशय खण्ड 1 के उप-खण्ड (2) के अन्तिम वाक्य में केवल साधारण-सा परिवर्तन है—अर्थात् "इकाई (यूनिट) धारासभाओं के वोटों" के स्थान पर "इकाई धारा-सभाओं के सदस्यों के वोट" शब्द रखे जायें। संशोधन के स्पष्टीकरण की शायद ही कोई आवश्यकता हो।

***अध्यक्ष:** एक और संशोधन श्री जे.एन. व्यास के नाम में है।

(संशोधन पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्ष:** क्या खण्ड 1 के सम्बन्ध में कोई और संशोधन नहीं है? यदि किसी सदस्य को इस खण्ड के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश करना है, जिसे मैं छोड़ गया हूं, तो वे कृपया उसे पेश करें और बाद में यह शिकायत न करें कि उन्हें संशोधन पेश करने का अवसर नहीं मिला।

चूंकि इस बारे में और कोई संशोधन नहीं है, इसलिये अब हम इस खण्ड और उसके सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किये गये हैं, उन पर बहस करेंगे।

***सैय्यद काजी करीमुद्दीन** (मध्य प्रान्त और बरार : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, वाक्य खण्ड 1 के उप-वाक्यखण्ड (2) में कहा गया है:

चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होगा जिसमें--

(क) संघ की दोनों सभाओं के सदस्य और,

(ख) सभी इकाइयों की धारासभाओं के सदस्य अथवा जहां दो सभाएं हों वहां निचली धारासभा (लोकसभा) के सदस्य शामिल होंगे।

राष्ट्रपति का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करने से सम्बन्ध रखने वाले सभी संशोधन यद्यपि वापस ले लिये गये हैं, फिर भी इस परिषद् को समझाना चाहता हूं कि यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर क्योंकर वांछनीय है।

इस विषय में निर्णय मुख्यत: इस बात पर निर्भर करता है कि शासन प्रबन्ध की पद्धति गैर-पार्लियामेण्टरी होगी अथवा पार्लियामेण्टरी। मेरा विचार है कि भारत में विरोधी राजनीतिक दलों, विभिन्न सिद्धान्तों तथा अन्य बहुत सी विभिन्न बातों को देखते हुये, देश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के तथा मंत्रिमण्डल में सभी दलों के प्रभावशाली प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शासनप्रबन्ध गैर-पार्लियामेण्टरी पद्धति पर आधारित हो। वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर अमल न करने के लिये केवल एक तर्क पेश किया गया है कि निर्वाचन करने के लिये बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी और राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति इन्हीं चुनावों में खर्च हो जायेगी। परन्तु यह तो सर्वथा कोई कारण नहीं है। अमरीका जैसे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से होता है और मेरा विचार है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हर पांचवें या चौथे वर्ष वयस्क मताधिकार से हो तो उससे आम जनता को जागृत करने का अवसर मिल सकेगा--उसके सामने महत्वपूर्ण आर्थिक समस्यायें रखी जायेंगी। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अखिल भारतीय आधार पर होगा तो उससे आम जनता में जागृति पैदा की जा सकेगी। वर्तमान वाक्यखण्ड 1 के उप-वाक्यखण्ड (2) के अन्तर्गत तो राष्ट्रपति केवल बहुसंख्यक दल की कठपुतली बन जायेगा और सम्पूर्ण यूनियन के लिये राष्ट्रपति का निर्वाचन वे लोग करेंगे जिन्होंने चुनाव आंशिक रूप से प्रांतीय आधार पर और आंशिक रूप से अखिल भारतीय आधार पर लड़े हैं। कल जब हम राष्ट्रपति को दिये गये अधिकारों पर बहस कर रहे थे, तो यह विचार प्रकट किया गया था कि उसे व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं। उसे किसी

प्रान्त के सम्पूर्ण विधान अथवा उसके किसी भाग को स्थगित कर देने का अधिकार होगा। जिस राष्ट्रपति को बहुसंख्यक दल का भय होगा और जो उप-वाक्यखण्ड 2 के अन्तर्गत निर्वाचकों द्वारा चुना जायेगा, मेरे विचार में वह सम्पूर्ण राष्ट्र का अखिल भारतीय आर्थिक आधार पर अथवा अखिल भारतीय मामलों में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण कठिनाई है। रियासतों की सुविधा की दृष्टि से हमने यह स्वीकार कर लिया है कि रियासती धारासभाओं के सदस्य यूनियन की निचली सभा के सदस्य होंगे। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि रियासतों में लोकप्रिय शासन नहीं है, और रियासतों की धारासभाओं में सम्भवत: ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके शासकों द्वारा नामजद किये गये होंगे अथवा जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होंगे। ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा जिनकी संख्या मतदाताओं की संख्या के लगभग एक तिहाई जितनी होगी--सभापति के निर्वाचन का अर्थ होगा कि वह रियासती जनता का प्रतिनिधि न लेकर रियासती शासकों द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को रियासतों की जनता का सच्चा प्रतिनिधि कदापि नहीं कहा जा सकता। इन परिस्थितियों में, मैं इस परिषद् से जोरदार अपील करता हूं कि यदि आप लोकतंत्रीय शासन चाहते हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति ऐसे लोगों का सच्चा प्रतिनिधि हो, जो उसे खण्ड 1 के उप-खण्ड 2 में उल्लिखित निर्वाचक मण्डल द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनेंगे, तो जहां तक विशेष रूप से रियासतों का सम्बन्ध है, वह उनकी जनता का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री मोहम्मद शरीफ** (मैसूर): श्रीमान्, मेरी राय में संघ के राष्ट्रपति का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होना चाहिये। यह सर्वथा वांछनीय होगा कि जो व्यक्ति शासन प्रबन्ध चलायेगा और जिसे इतने अधिकार और जिम्मेदारियां सौपी जायेंगी, उसका चुनाव इसी आधार पर किया जाये। प्रत्येक अधिकृत मतदाता को यह सन्तोष होना चाहिये कि जो व्यक्ति सारे राष्ट्र का शासक होगा उसके चुनाव में उसका भी हाथ था। यह कहा गया था कि यदि इस तरीके पर अमल किया गया तो उसमें बहुत-सा समय बर्बाद हो जायेगा और खासकर ऐसे मौके पर जब कि जनता की जानकारी और साक्षरता का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, और इस प्रणाली पर सन्तोषजनक रूप से अमल भी नहीं हो सकेगा। साथ ही यह भी तर्क पेश किया गया था कि यदि इस तरीके पर काम किया गया तो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और इसी प्रकार की अन्य बहुत-सी घृणित और

[श्री मोहम्मद शरीफ]

दूषित प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। श्रीमान्, मेरे विचार में, इस प्रणाली से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षा भी कठिनाइयां बहुत कम होंगी। स्वयं निर्वाचन एक बड़ा भारी सबक होगा। इससे जनता को अपना राजनीतिक दृष्टिकोण व्यापक बनाने का अवसर मिलेगा और अनेक अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

ऐसी परिस्थितियों में, मेरी राय है कि राष्ट्रपति का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस प्रकार चुनाव पर अन्य वोटरों के समर्थन की मोहर भी लग जायेगी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री तजम्मुल हुसैन** (बिहार : मुस्लिम): श्रीमान्, भाग 4 के खण्ड 1 के उपखण्ड 1 में कहा गया है कि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति (प्रेसीडेण्ट) कहलायेगा और प्रजातंत्र का कोई भी व्यक्ति या नागरिक, जिसकी आयु 35 वर्ष की है, संघ का राष्ट्रपति चुना जा सकेगा। श्रीमान्, इस बारे में एक संशोधन पेश किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव बारी-बारी से हो अर्थात् एक बार राष्ट्रपति उत्तरी भारत से चुना जाये और दूसरी बार दक्षिण भारत से। इसके लिये माननीय प्रस्तावक ने यह दलील पेश की है कि दक्षिण भारत के लोग उत्तरी भारत से सर्वथा विभिन्न हैं। श्रीमान् मेरी राय में यह एक बहुत खतरनाक सिद्धान्त है। यदि आप यह सिद्धान्त स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिये स्थान सुरक्षित रखा जाये तो हो सकता है कि प्रत्येक प्रान्त यह दावा पेश करे कि बारी-बारी से राष्ट्रपति अमुक-अमुक प्रान्त से लिया जाये।

मिसाल के तौर पर पश्चिमी बंगाल के लोग यह कह सकते हैं कि वे शेष भारत से बिल्कुल भिन्न हैं।

***एक माननीय सदस्य:** नहीं, नहीं।

***श्री तजम्मुल हुसैन:** मुझे खुशी है कि एक आवाज मुझे नहीं, नहीं की भी सुनाई पड़ रही है। एक सूबे में दूसरे सूबे से कोई फर्क नहीं होना चाहिये। इसलिये श्रीमान्, मेरी राय है कि चूंकि राष्ट्रपति का पद समस्त राज्य में सर्वोच्च है और वह प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकारी है, अत: हमें सर्वोत्तम व्यक्ति को उस पद पर अधिष्ठित करना चाहिये; हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि वह कहां का रहने वाला है। यह सर्वथा सम्भव है कि जब चुनाव हो रहा हो तो उस समय हमें

सबसे योग्य व्यक्ति कोई बिहारी, या ईसाई, या जैन अथवा पारसी ही मिले, और उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाये। इसलिये, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

भाग 4 के खण्ड 1 के उपखण्ड 2 के पैरा (ब) में कहा गया है कि जिस प्रान्त में दो धारा-सभायें होंगी, वहां राजसभा को प्रजातंत्र के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। बिहार के रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय ने इस बारे में यह संशोधन पेश किया है कि राजसभा को भी यह अधिकार मिलना चाहिये। जैसा कि आप जानते हैं कि उप-वाक्य खण्ड (अ) के अन्तर्गत केन्द्रीय धारासभा की दोनों सभाओं को संघ के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। केन्द्रीय धारासभा की राजसभा और प्रान्तीय धारासभा की राजसभा में कोई फर्क नहीं है। दोनों को ही विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यदि आप राजसभा को समाप्त कर देते हैं तो और बात है। मैं लोकतंत्रीय सिद्धान्त पर आपका समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन हमने केंद्रीय धारासभा के अन्तर्गत एक राजसभा रखने का फैसला किया है और कुछ प्रान्तों के लिये भी हमने ऐसा ही निर्णय किया है। ऐसी हालत में, मेरी राय है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभाओं की राजसभाओं के सदस्यों की योग्यतायें एक समान ही होनी चाहियें, अर्थात् प्रान्तीय धारासभा को राजसभा के सदस्यों को भी संघ के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि किसी प्रान्तीय धारासभा की राजसभा के सदस्यों को उनके साधारण अधिकारों, विशिष्ट अधिकारों और प्रजातन्त्र के लिये स्वयं अपना राष्ट्रपति चुनने की स्वतंत्रता से क्यों वंचित रखा जाये। इसलिये मैं श्री श्यामनंदन सहाय के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री एच.आर. गुरुव रेड्डी** (देशीराज्य : मैसूर) अध्यक्ष महोदय, कल मैं नामज़दगियों के सम्बन्ध में हो रही बहस में और खासकर उनसे सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तों में बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। हमारे एक योग्य सहयोगी कह रहे थे कि नामज़दगियों की प्रणाली को खासकर रियासतों में समाप्त कर देना चाहिये और यदि इस प्रणाली को कहीं और अपनाया जाये तो वह आपत्तिजनक नहीं होगी। श्रीमान्, मुझे इस सुझाव का यह तर्क समझ में नहीं आया। यदि नामज़दगियों की प्रथा बुरी है तो वह सभी जगह बुरी है और अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो उसे सैद्धान्तिक दृष्टि से सभी जगह मानना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यदि कोई निर्वाचित व्यक्ति नामज़दगियों की प्रणाली पर अमल करता है तो हम उसे पवित्र और युक्तियुक्त क्यों समझते हैं

[श्री एच.आर. गुरुव रेड्डी]

और उसकी इस कार्रवाई को न्यायोचित और ठीक क्यों कर कहते हैं, और इसके विपरीत यदि किसी रियासत का शासक स्वयं अथवा अपने निर्देश के अन्तर्गत कोई नामज़दगी करता है तो उसे गलत और बुरा क्यों समझा जाता है? मुझे तो इसमें कोई औचित्य नहीं दिखाई देता कि एक जगह तो हम नामज़दगियों के सिद्धान्त को ठीक समझें और दूसरी जगह उसे गलत और अनुचित। यदि आप नामज़दगियों को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहते हैं तो हमें यह काम निर्भीक होकर और ताल ठोककर करना चाहिये। लेकिन, यदि विभिन्न स्वार्थों को प्रतिनिधित्व देने के लिये हमें नामज़दगियों को जारी रखना है तो हमें उन्हें रियासतों और अन्य इकाइयों में भी ज़ारी रखने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये। किसी को यह डर नहीं होना चाहिये कि यह नामज़दगियां बहुत भारी तादाद में की जायेंगी। हमें यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि कोई शासक ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो दूसरे लोगों के सभी अच्छे कामों पर पानी फेर देगा। वास्तव में, अगर हमें कोई खतरा दिखाई दे तो हमें सम्बद्ध शासक को उचित कदम उठाने के लिये और सभी स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को चुनने पर राज़ी कर लेना चाहिये। इसलिये, मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि यदि हमें इस सभा में अथवा संघीय धारासभा के राष्ट्रपति को नामज़दगियों की प्रणाली को अपनाना है, तो फिर इसमें कोई तर्क नहीं कि वह प्रणाली अन्यत्र ठीक नहीं होगी।

एक और प्रवक्ता का यह कहना था कि इस तरीके से हम रियासतों अथवा अन्य इकाइयों को चुनाव की पद्धति पर अमल करने के लिये विवश कर सकेंगे। "विवश" करने का शब्द बहुत खटकने वाला है। यह कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। किसी व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण मनवाने अथवा उस पर अमल करने के लिये मजबूर करना कोई अच्छा और मुनासिब उसूल नहीं है। हमारी कोशिश तो उसे अपना कायल बना लेने की होनी चाहिये। इसलिये, श्रीमान्, यदि एक बार इस सभा में अध्यक्ष द्वारा नामज़दगियों का सिद्धान्त मान लिया जाता है तो सिद्धान्त के रूप में उसे और जगह भी अमल में लाने की आज़ादी होनी चाहिये। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मेरे तर्क का आधार वास्तविक स्थिति न होकर सिद्धान्त हैं। मैं इस सम्मानित और महती सभा से अपील करूंगा कि चूंकि भारत के प्रस्तावित विधान में नामज़दगी का सिद्धान्त मान लिया गया है, इसलिये उस पर अन्यत्र अमल करने की भी आज़ादी होनी चाहिये और इस प्रकार निश्चय ही देश की जनसंख्या के उस भाग के साथ भी न्याय हो जायेगा जिसे अन्यत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।

श्रीमान्, अब मैं एक और दिलचस्प, अथवा अधिक परेशानी पैदा करने वाले सवाल को उठाता हूं, अर्थात् उत्तर और दक्षिण रियासतें अथवा गैर-रियासतें। श्रीमान्, जहां तक मेरा निजी ताल्लुक है, मैं उत्तर या दक्षिण को एक दूसरे से अलग-अलग नहीं मानता। मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह दृढ़ विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, यदि उसमें आवश्यक योग्यता है और उसे मौका दिया जाता है तो वह दूसरों पर अपना सिक्का खुद ही बिठा लेगा। सवाल सिर्फ मौका मिलने का है। यह किसी प्रादेशिक विभाजन का प्रश्न नहीं है। हमें मालूम है कि किन खास कारणों से बहुधा उत्तर और दक्षिण वाले एक दूसरे से सशंकित रहा करते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो दूर दक्षिण में मैसूर का रहने वाला है, यह महसूस करता है कि उत्तर के लोगों को इस विधान-परिषद् में उनके उचित अधिकार से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये। श्रीमान्, जब मैं ईमानदारी के साथ यह अनुभव करता हूं कि विभिन्न कारणों से कुछ समय से दक्षिण की उपेक्षा की गई है तो मैं इसका दोष किसी व्यक्ति के मत्थे अथवा जनता के किसी भाग पर नहीं मढ़ता। लेकिन मैं यह महसूस ज़रूर करता हूं कि दक्षिण की कुछ सीमा तक उपेक्षा अवश्य ही की गई है। लेकिन यह तो प्रश्न दक्षिण की जनता को मौका देने का है। अगर मौका मिले, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दक्षिण के रहने वाले लोग यदि अधिक नहीं तो कम से कम उत्तर के लोगों के समकक्ष तो अपने को साबित कर ही सकते हैं।

श्रीमान्, रियासतों और गैर-रियासतों का यह सवाल भी वास्तव में बड़ा टेढ़ा और परेशान करने वाला है। मैं चूंकि खुद एक रियासत का रहने वाला हूं, इसलिये मेरी यह प्रबल अभिलाषा है कि रियासत के किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जाये। लेकिन यह भी एक दूषित चक्र ही समझिये। रियासतें समस्त भारतीय उपनिवेश का एक-तिहाई भाग हैं। इसके अलावा एक और परेशानी इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई योग्यताएं और अन्य बातें हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं चुनाव के लिये रियासतों और गैर-रियासतों को अलग-अलग रखने की बात नहीं मान सकता। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि आवश्यक अवसर दिया जाये, रियासतों को आवश्यक प्रतिनिधित्व दिया जाये, तो कोई भी व्यक्ति जो दृढ़ विश्वास, साहस और ईमानदारी के साथ तथा निर्भय होकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, भारतीय विधान में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है।

श्रीमान्, विधान के अन्तर्गत गैर-रियासतों और रियासतों के लिये स्थान सुरक्षित रखना अथवा बारी-बारी से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली पर

[श्री एच.आर. गुरुव रेड्डी]

अमल करना बहुत कठिन है। मैं "विधान" शब्द पर खास तौर से ज़ोर देना चाहता हूं। श्रीमान्, इन बातों पर हमें खूब सोच-विचार करना चाहिये और इनके लिये "परम्पराओं" के अन्तर्गत समुचित व्यवस्था कर देनी चाहिये। आज हम भारत के लिये नया विधान तैयार कर रहे हैं और स्वयं विधान भी एक नये परिवर्त्तन का प्रतीक है। हम इस विधान पर दो-तीन साल तक अमल करके देख लें और उसके बार अगर हमें कोई कठिनाई पेश आये तो हम उसमें आवश्यक परिवर्त्तन कर सकते हैं। इसके अलावा, इस काम के लिये मैं कदापि धारासभा की सहायता नहीं चाहूंगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस समस्या को सुलझाने का एकमात्र तरीका उत्तर और दक्षिण तथा रियासतों और गैर-रियासतों के मध्य सद्भावना बनाये रखना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना तथा स्वस्थ परम्परा की स्थापना है। कानून की मदद से हम इस समस्या को कभी हल नहीं कर सकते।

इस सिलसिले में, मैं आपका ध्यान मद्रास के मेयर पद के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक मद्रास के मेयर के निर्वाचन का प्रश्न है, प्रान्त में बड़े झगड़े थे। हमें सर रामास्वामी मुदालियर का कृतज्ञ होना चाहिये कि आज से कुछ वर्ष पूर्व, जब कि उनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध भी नहीं था, उन्होंने एक परम्परा की नींव रखी। और उस परम्परा पर आज भी अमल हो रहा है और उस परम्परा के अनुसार विभिन्न सम्प्रदायों तथा वर्गों के व्यक्ति मद्रास के मेयर चुने जाते हैं। अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी हम इसी परम्परा पर आचरण कर सकते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है। श्रीमान्, मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि उत्तर और दक्षिण तथा रियासतों और गैर-रियासतों के बीच परम्परा, समझौते और सद्भावना की स्थापना द्वारा ही यह समस्या सुलझ सकेगी, किसी कानून अथवा कानून की धारा के ज़रिये नहीं।

श्रीमान्, अब मैं एक और छोटे से परन्तु महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं; और यह विषय है शपथ-ग्रहण का, जिसे मेरे माननीय और योग्य सहयोगियों ने इतनी सुन्दरता के साथ उपस्थित किया है। उन्होंने इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बताया है और मेरी समझ में नहीं आता कि संघीय-विधान की इस रिपोर्ट में यह खामी किस प्रकार रह गई। इसमें शपथ उठाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। श्रीमान्, यह व्यवस्था तो संसार में सभी जगह पाई जाती है। सभी सुव्यवस्थित सरकारों में यह व्यवस्था है कि राष्ट्र का अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। यह बात भारत सरकार के लिये सर्वथा उचित और उपयुक्त होगी

कि राष्ट्रपति किसी उपयुक्त अधिकारी के सामने हलफ़ उठाये कि वह इस समय तैयार हो रहे और भविष्य मे कार्यान्वित किये जाने वाले विधान की रक्षा करेगा।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं सभा से इन संशोधनों और सिद्धान्तों को जिन्हें मैंने अभी पेश किया है, स्वीकार करने की सिफ़ारिश और अनुरोध करता हूं।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, वह बड़ी धीमी है। मुझे डर है कि इस रफ्तार से हम अपने निर्धारित समय के अनुसार काम नहीं कर सकेंगे। मेरी राय है कि इस समय जबकि हम केवल विधान के सिद्धान्तों पर सोच-विचार कर रहे हैं, हमें भारतीय-संघ-विधान के समस्त क्षेत्र पर सोच-विचार न करके अपनी बहस केवल विशिष्ट वाक्यखण्ड अथवा संशोधन तक ही सीमित रखनी चाहिये।

***अध्यक्ष:** मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं कि हमें विधान के समस्त क्षेत्र पर बहस न करके केवल विशिष्ट संशोधन पर जो पेश किया गया हो अथवा किसी विशिष्ट वाक्यखण्ड तक जिस पर बहस चल रही हो, अपना क्षेत्र सीमित रखना चाहिये। मैं सदस्यों से यह प्रार्थना भी करूंगा कि वे अपने भाषण के लिये पांच मिनट से अधिक समय न लें, जब तक कि किसी खास मामले में मैं यह न महसूस करूं कि जिस सवाल पर बहस की जा रही है, वह इस किस्म का है कि उसके लिये अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, कल इस सभा में दो संशोधन पेश किये गये थे, एक मेरे मित्र रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय द्वारा और दूसरा मेरे मित्र चनैया द्वारा।

श्री सहाय के संशोधन में यह कहा गया है कि जहां दो धारा-सभाएं हों, वहां राजसभा को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये। मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सवाल उठाया गया था कि जबकि संघ की राजसभा को वोट देने का अधिकार दिया गया है, तो वैसा ही अधिकार प्रान्तीय धारासभाओं की राजसभा को क्यों नहीं दिया जाता? यदि मेरे मित्र दूसरे अध्याय पर तनिक दृष्टिपात करें तो उन्हें पता चल जायेगा कि राज्य परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव इकाइयों की राजसभाओं से बिल्कुल मुख़तलिफ़ है। इसके अलावा, हमने राष्ट्रपति को संघीय पार्लियामेंट का एक अविछिन्न अंग स्वीकार किया है, जिसमें राष्ट्रपति और राष्ट्रीय असेम्बली रहेंगे

[श्री एच.वी. कामत]

और इस असेम्बली में राज्य-परिषद् और लोकसभा दोनों ही सम्मिलित होंगी। जहां राष्ट्रपति एक अविच्छिन्न अंग माना जायेगा और उसे संघीय विधान का एक नितांत आवश्यक अंग माना जायेगा, तो यह सर्वथा न्यायसंगत प्रतीत होता है कि दोनों ही सभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया जाये।

दूसरा संशोधन मेरे मित्र श्री चनैया ने पेश किया था। वह संशोधन आश्चर्यजनक और उपहासास्पद प्रतीत होता है। श्रीमान्, ऐसे समय में जबकि हमने साम्प्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया है, श्रीमान्, ऐसे समय में जबकि विकेन्द्रीकरण और विभाजन की प्रवृत्तियों का बोलबाला हो, ऐसे समय में श्रीमान्, जबकि हममें से अधिकांश लोग देश को फिर से एकता के सूत्र में आबद्ध करना चाहते हों और उसे पुनः उसके अतीतकालीन पद पर अधिष्ठित करना चाहते हों, निःसंदेह यह एक बड़ी विलक्षण और हास्यजनक बात है कि इस सभा का एक सदस्य उठकर हमारे देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में विषमता दिखाने की कोशिश करे। मेरा तो यह खयाल था कि विंध्याचल पर्वत के पार अगस्त्य के पदार्पण और बाली तथा रावण के साथ श्रीराम के युद्ध के बाद उत्तर और दक्षिण का यह भेद सदैव के लिये मिट गया होगा। यूरोप में हमने मैजिनों रक्षापंक्ति के बारे में सुना है, हमने यूरोप की कर्जन और ड्यूरेण्ड रक्षापंक्ति के बारे में भी सुना है। यदि श्री चनैया का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो निकट भविष्य में ही हमें भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों के बीच एक चनैया रक्षापंक्ति भी स्थापित हुई मिलेगी। ऐसे समय में जबकि हम एक शक्तिशाली और दृढ़ राष्ट्र की स्थापना की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम अतीत के समस्त भेदभाव और अंतर को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि अत्यधिक अनिच्छापूर्वक साम्प्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा मंजूर कर लिया गया है, यह निश्चय ही एक आश्चर्य की बात है कि इस सभा में इस तरह का कोई संशोधन उपस्थित किया जाये। श्रीमान्, ठीक इसी वजह से कम से कम फ़िलहाल मैं भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्विभाजन के भी ख़िलाफ़ हूं। इस समय तो हमें अपनी सारी शक्तियां एक महान् और बड़े भारतीय संघ की स्थापना में लगा देनी चाहियें। हमें अपनी सारी ताकत देश को फिर से एकता के सूत्र में संघठित करने के काम में लगा देनी चाहिये। श्रीमान्, हमें एक सुदृढ़, संयुक्त, अखण्ड और स्वतंत्र भारत की स्थापना के अपने आकांक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिये। हम भारत को

समस्त राष्ट्र की भलाई और कल्याण के लिये प्रयत्नशील और संसार की शान्ति के लिये कटिबद्ध देखना चाहते हैं। हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां सभी भारतीय हिन्दू, मुस्लमान, ईसाई, पारसी अथवा सिख एक दूसरे से कन्धे से कन्धा भिड़ाकर चलें, सभी अपने को एक ही सुदृढ़, संयुक्त और स्वतंत्र देश का नागरिक समझें। श्रीमान्, हमारे मस्तिष्क में सर्वोपरि विषय इस समय यही है। हम अभी तक पुनः अपने देश की एकता का स्वप्न पूरा करने की आशा करते हैं। उस सुप्रसिद्ध गीत की भावना से प्रेरित होकर जो आज सभी भारतीयों की जुबान पर है:

हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी,
सब भेद और फर्क मिटाके, सब गोद में तेरी आके;
गूथें प्रेम की माला।
सूरज बनकर जग में चमके–भारत नाम सुभागा।

मैं इस सिद्धान्त का विरोध करता हूं जिसका प्रतिपादन कल मेरे मित्र श्री चनैया ने उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करने की कोशिश करते समय किया था। श्रीमान्, मेरे एक मित्र ने कहा है कि दक्षिण की उपेक्षा की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे और किस प्रकार दक्षिण भारत की उपेक्षा की गई है। यदि मेरे मित्र यह कहना चाहते हैं कि दक्षिण का अर्थ केवल मद्रास है, तो मैं उनसे सहमत नहीं। मैं यह चाहूंगा कि सबसे पहले वे यह बतायें कि दक्षिण भारत से उनका आशय किस बात से है, क्या दक्षिण का तात्पर्य केवल मद्रास से है अथवा मद्रास और बम्बई से तथा विभिन्न सम्बद्ध प्रदेश से। मेरा तो यह पक्का यकीन है कि दक्षिण की कतई उपेक्षा नहीं की गई। आज दक्षिण भारत की ही दो रियासतें, हैदराबाद और ट्रावनकोर, हमें सबसे अधिक परेशान कर रही हैं। अगर इसकी वजह उपेक्षा है और यदि इसकी वजह महत्वहीन होता है, तो श्रीमान्, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मित्र का वास्तविक आशय क्या है। दक्षिण की ये दोनों रियासतें, श्रीमान्, आज हमारे अधिकांश राजनीतिज्ञों और नेताओं के लिये आधुनिक राजनीति के क्षेत्र में बहुत भारी परेशानी पैदा कर रही हैं। यदि मेरे मित्र के विचार में दक्षिणी भारत की उपेक्षा की गई है तो, श्रीमान्, मेरी समझ में नहीं आता कि वे यह बात कैसे भूल जाते हैं कि बम्बई और मद्रास के प्रमुख राजनीतिज्ञ ने राजनीतिक प्रगति और हमारी मातृभूमि के राजनीतिक विकास में कितना महत्वपूर्ण भाग लिया है।

[श्री. एच.वी. कामत]

श्रीमान्, इसके अलावा एक और बात यह कही गई थी कि संघ के राष्ट्रपति को शपथ लेनी चाहिये। मैं इससे सहमत हूं लेकिन यह स्थान उस शपथ के उल्लेख करने का नहीं है। जब भारतीय विधान का मसविदा अन्तिम रूप से तैयार किया जायेगा तो निश्चय ही शपथ का भी उसमें उल्लेख रहेगा। यहां तो हम केवल विधान के सिद्धान्तों पर सोच-विचार कर रहे हैं और इसलिये मेरी राय में इस जगह राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में, हम यह भी कह सकते हैं कि धारासभा के सदस्यों को भी देश के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ ग्रहण करनी चाहिये, लेकिन आप इस प्रकार की किसी बात का कोई उल्लेख नहीं कर रहे यह तो केवल विस्तार और तफ़सील की बातें हैं, जिनका ख्याल हमें अन्तिम रूप से विधान का मसविदा बनाते समय करना होगा। इसलिये, श्रीमान्, मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय और अपने मित्र श्री चनैया द्वारा पेश किये गये संशोधनों का विरोध करता हूं।

***श्री अजित प्रसाद जैन** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): जनाब वाला, जो प्रस्ताव पं. जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रेसीडेंट के चुनाव की जो स्कीम यहां रखी गई है, मैं समझता हूं, वह बहुत मुनासिब है। यहां पर कुछ आनरेबल मेम्बरस् ने यह तजवीज़ की थी कि प्रेसीडेंट का चुनाव बालिग मताधिकार से हो, इसके ख़िलाफ़ काफ़ी वजुहात बतलाई जा चुकी हैं, लेकिन मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि ख़ास तौर से इस तजवीज़ का वह हिस्सा जिसमें यह कहा गया है कि मेम्बरों के वोटों को मुख्तलिफ़ वजन दिया जायेगा याने वह मेम्बर जो कम आदमियों की नुमायन्दगी करते होंगे उनके वोट को हल्का समझा जायेगा और जो ज़्यादा आदमियों की नुमायन्दगी करेंगे उनको भारी समझा जायेगा। वह उस कमी को पूरा करता है जो आमतौर से राहेरास्त चुनाव न होने से पैदा होती है। एक मिसाल यह भी दी गई है कि अमरीका के अन्दर जहां की आबादी 13 या 14 करोड़ की है प्रेज़ीडेंट का चुनाव बालिग मताधिकार से होता है। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि वहां यह मुनासिब समझा गया है कि बराहेरास्त नहीं बल्कि एक एलेक्टोरल कालेज कायम करके प्रेसीडेंट का चुनाव हो। यहां भी एक एलेक्टोरल कालेज की तजवीज़ है। यह एलेक्टोरल कालेज चुने हुए मेम्बरों का होगा और इस तरह प्रेसीडेंट का चुनाव भी जनता के मत के अनुसार ही होगा। मुझे इसके मुतल्लिक इतना ही अर्ज़ करना था, लेकिन मुझे चंद दिक्कतें मालूम होती हैं। इस तजवीज़ में जो

पं. जवाहरलाल नेहरू ने रखी है प्रेसीडेंट का चुनाव इस तजवीज़ के मुताबिक एक इलेक्टोरल कालेज से होगा। उस इलेक्टोरल कालेज के मेम्बर फैडरल पार्लियामेंट के कुछ मेम्बर होंगे यानी कौंसिल आफ स्टेट के कुल मेम्बरान और हाउस आफ पीपुल्स के कुल मेम्बरान को इस चुनाव में वोट देने का हक होगा। साथ-साथ हिन्दुस्तान के तमाम सूबे और देशी रियासतों के मेम्बरों को इसमें वोट देने का एक हक दिया गया है। जहां तक युनिट लेजिस्लेचर के मेम्बरों के वोट देने का ताल्लुक है, इसमें यह कहा गया है कि उनके वोटों को मुख्तलिफ वजन दिया जायेगा। मसलन यहां वह मेम्बर जो दस हजार आदमियों की नुमायन्दगी करता है, अगर उसे 10 वोट मिलेंगे तो दूसरे मेम्बर को जो एक लाख आदमियों की नुमायन्दगी करता है 100 वोट दिये जायेंगे। जहां तक युनिट लेजिस्लेचर का ताल्लुक है यह बहुत सही, बहुत अच्छा तरीका है लेकिन इस तजवीज़ में यह नहीं बतलाया गया कि जो फेडरल पार्लियामेंट के मेम्बर होंगे यानी जो हाउस आफ पीपुल और कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर होंगे उनके वोट को कोई वजन दिया जायेगा या न दिया जायेगा या उनके वोट का क्या निस्बत होगा। युनिट लेजिस्लेचर के मेम्बर वोटों से मौजूदा हालत में इस तजवीज़ के मायने यह हैं कि हाउस आफ पीपुल का जो मेम्बर होगा उसको खाली एक वोट मिलता है। अगर इसके यह माने होते हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक निहायत गलत चीज़ है। इस मसविदे में जो हमें दिया गया है, आगे चल कर यह बताया गया है कि हाउस आफ पीपुल का एक मेम्बर औसतन 10 लाख आबादी की नुमायन्दगी करेगा और अगर उसे एक ही वोट मिलता है तो उसके माने यह हैं कि वह आदमी जो युनिट लेजिस्लेचर का मेम्बर है और सिर्फ खाली 10 हजार आदमियों की नुमायन्दगी करता है उसे इस हिसाब से दस वोट मिलते हैं और वह आदमी जो फेडरल लेजिस्लेचर का मेम्बर है यानी हाउस आफ पीपुल में दस लाख आदमियों की नुमायन्दगी करता है, उसका इस हिसाब से एक वोट रहता है। मैं समझता हूं यह बात मुनासिब न होगी और इस पर दुबारा गौर किया जाये कि फेडरल हाउस आफ पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी वोट का एक मुनासिब और सही वजन दिया जाये ताकि नुमायन्दगी ठीक तरीके से हो सके।

इसमें एक और भी दिक्कत मुझे मालूम होती है। मुमकिन हो सकता है कि देशी रियासतों में किसी किस्म का नामिनेशन भी रखा जाये और इस हालत में यह कहना मुश्किल होगा कि वह लोग जो नामिनेट या नामजद किये जावेंगे उनके वोट की क्या कीमत होगी। कुछ ऐसी भी कांस्टिट्यूऐंसी हो सकती हैं जो

[श्री अजित प्रसाद जैन]

टेरिटोरियल कांस्टिट्यूऐंसी न हो जैसे युनिवर्सिटी कांस्टिट्यूऐंसी है या लेबर कांस्टिट्यूऐंसी है। जहां तब सूबों का ताल्लुक है हमने यह तय कर लिया है कि सूबों में टेरिटोरियल कांस्टिट्यूऐंसी होगी और कोई खास नुमायन्दगी वहां पर न दी जायेगी। लेकिन रियासतों में मुमकिन हो सकता है कि कुछ टेरिटोरियल कांस्टिट्यूऐंसी हो कुछ न हो, और वहां यह भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ नामजदगी हों। आपने मुख्तलिफ वोटों को जो यह वजन देने का तरीका निकाला है उससे एक दिक्कत पैदा हो सकती है कि वह लोग जो नामजद हों उनके वोट को किस कदर वजन दिया जाये और अगर आप यह भी तय करते हैं कि फेडरल पार्लियामेंट के मेम्बरान के वोटों को भी किसी किस्म का वजन दिया जाये, हालांकि इस तजवीज में कोई ऐसी बात नहीं है, तब भी यह सवाल पैदा होता है कि कौंसिल आफ स्टेट के अन्दर आपने कुछ लोगों को नामजद करने की तजवीज रखी है और अगर उन्हें नामजद किया जाता है तो उनके वोट का क्या वजन होना चाहिये। बहरहाल, मैं इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं आपकी फेडरल पार्लियामेंट के मेम्बरान के वोटों के बारे में कोई साफ और सही तौर से यह तजवीज आ जानी चाहिये कि उनके वोट को किस कदर वजन दिया जायेगा और किस तरह से उनके वोट की शुमार होगी।

इन्ही चन्द अलफाज़ के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो तजवीज मैंने आपके सामने पेश की है उस पर गौर किया जायेगा।

***अध्यक्षः** अभी मेरे पास तीन और वक्ताओं के नाम हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ और सदस्य भी बोलने के लिये खड़े हो रहे हैं। इस वाक्य खंड के सम्बन्ध में आज हम एक घंटे तक बहस कर चुके हैं और कल भी हमने लगभग एक घंटा लिया था। यदि हम इसी रफतार से बहस करते रहे तो मेरा खयाल है कि अगले बृहस्पति तक हम एक भी भाग पूरा नहीं कर सकेंगे और उसके बाद हम अपना अधिवेशन स्थगित कर देना चाहते हैं। इसलिये मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने भाषण छोटे और संक्षिप्त कर दें और यदि किसी प्रश्न पर किसी सदस्य द्वारा पहले ही प्रकाश डाला जा चुका हो तो कृपया वे उस पर पुनः भाषण न दें और उन्हीं युक्तियों को फिर न दोहरायें।

***डा. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान्, क्या मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं कि वक्ताओं के नाम देने की प्रणाली बन्द कर दी जाये और उसकी जगह भाषण

करने की इजाजत केवल उसी सदस्य को दी जाये जिसकी ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित हो जाये।

***अध्यक्षः** मुझे यह मंजूर है। भविष्य में, मैं किसी सदस्य की पर्ची नहीं स्वीकार करूंगा। जिसकी ओर मेरा ध्यान जायेगा, मैं उसे बोलने की इजाजत दे दूंगा।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (पूर्वी रियासत समूह संख्या 1): श्रीमान्, मैं वाक्य खंड 1 के उपवाक्य खंड (2) (ब) के सम्बन्ध में श्री के. चेंगलाराय रेड्डी के संशोधन का समर्थन करता हूं। श्री रेड्डी ने "सदस्य" शब्द की जगह "निर्वाचित सदस्य" शब्द रखने का संशोधन पेश किया है। सभा में उपस्थित बहुत से माननीय सदस्यों को यह शब्द अनावश्यक और व्यर्थ प्रतीत होगा, क्योंकि वर्तमान विधान के अन्तर्गत प्रांतीय धारासभाओं में कोई भी नामजद सदस्य नहीं होगा। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाऊंगा कि रियासतों की धारासभाओं के विधान में इस प्रकार के परिवर्तन की व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत सी रियासतों में, विशेष कर छोटी छोटी रियासतों की धारासभाओं में नामजद किये गये सदस्यों की भरमार है। वास्तव में कुछ रियासतों में तो कोई धारासभा ही नहीं है। मैं यहां उड़ीसा की रियासतों का प्रतिनिधि हूं और मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि वहां की कुछ रियासतों में कोई धारासभा ही नहीं है। जहां कहीं कोई धारासभा है भी, उसमें नामजद सदस्यों की इतनी अधिक भरमार रहती है कि निर्वाचित सदस्यों की उसमें कोई सुनता ही नहीं। कुछ रियासतों में वहां की राज्य कांग्रेस और प्रजामंडलों ने असंतोषजनक मताधिकार के कारण धारासभाओं के चुनाओं का बहिष्कार कर रखा है। जहां कहीं कोई धारासभा है, वहां मताधिकार संकुचित और सांप्रदायिक आधार पर हैं और उनमें नामजद सदस्यों की बहुत भारी संख्या रहती है। श्रीमान्, यदि आप नामजद सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की इजाजत देंगे तो संभवतः कुछ रियासतें दिखावे के तौर पर झूठमूठ की और प्रतिनिधित्वहीन धारासभायें स्थापित करके प्रजातंत्र विरोधी तरीकों से चुनाव पर प्रभाव डालने की कोशिश करें। यदि भारत के भावी प्रजातंत्र के राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामजद सदस्यों को भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई तो लोकतंत्र की दृष्टि से यह एक बड़ा मजाक होगा। इसलिये मैं अपने मित्र श्री रेड्डी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

साथ ही, श्रीमान्, मैं श्री चन्द्रशेखरय्या द्वारा पेश किये गये संशोधन का भी विरोध करता हूं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति बारी बारी से रियासतों और

[श्री युधिष्ठिर मिश्र]

गैर रियासती इकाइयों से चुना जाये। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो रियासतों के लिये यह एक बड़े अपमान की बात होगी।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बहस में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं थी । लेकिन, मैसूर रियासत के मेरे माननीय मित्र श्री रेड्डी ने जो सवाल उठाया है, उसकी वजह से मुझे बहस में शामिल होना पड़ रहा है। उन्होंने बारी-बारी से राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही है और इसके समर्थन में उन्होंने मद्रास के म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर के चुनाव का उदाहरण पेश किया है।

***एक माननीय सदस्य:** मैसूर के दो सदस्य हैं। श्रीमान्, इस उल्लेख का स्पष्टीकरण कर दिया जाये।

***अध्यक्ष:** (श्री सिधवा से) आपने वक्ता के नाम के सम्बन्ध में गलती की है।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, वे मैसूर के हैं। यह ठीक है कि मद्रास के म्यूनिसिपल कारपोरेशन में मेयर का चुनाव बारी-बारी से होता है। पहले साल एक ब्राह्मण चुना जाता है, दूसरे वर्ष एक अ-ब्राह्मण और तीसरे वर्ष एक हरिजन। बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन में भी ऐसी ही प्रथा प्रचलित है। पहले साल एक हिन्दू चुना जाता है, दूसरे साल एक मुसलमान, तीसरे साल एक पारसी और चौथे साल एक ईसाई। कराची म्युनिसिपल कारपोरेशन में भी ऐसी ही प्रथा है। पहले साल एक पारसी चुना जाता है, दूसरे साल एक मुसलमान, तीसरे साल एक ईसाई और चौथे साल एक हिन्दू। कलकत्ता कारपोरेशन में भी ऐसी ही परम्परा है। भारत में मेयर के निर्वाचन की इस क्रमिक प्रणाली के विषय में चूंकि मेरा भी हाथ रहा है, इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि इसका सूत्रपात इस उद्देश्य से किया गया था कि केवल इसी सम्मानित पद को सुशोभित करने के लिये प्रत्येक सम्प्रदाय को अवसर दिया जाये। श्रीमान्, मैं फिर कहता हूं कि केवल इसी सम्मानित पद को सुशोभित करने के लिये म्युनिसिपल कारपोरेशन की बैठकों का अध्यक्ष पद ग्रहण करने के अतिरिक्त मेयर को और कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। श्रीमान्, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसे शासन-सम्बन्धी

कोई अधिकार नहीं रहता, यद्यपि वह सम्बद्ध नगर का सर्वप्रथम नागरिक होता है। इसलिये आप मेयर के निर्वाचन की तुलना राष्ट्रपति के चुनाव से किसी भी हालत में नहीं कर सकते। भारत का राष्ट्रपति सर्वोत्तम व्यक्ति होगा। उसे शासन सम्बन्धी बहुत से अधिकार प्राप्त रहेंगे। उसे अपना प्रधानमंत्री और अपने मंत्री चुनने होंगे। उसे धारासभा को भंग करने का अधिकार होगा। इसके अलावा श्रीमान्, प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत वह सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होगा। तो क्या श्रीमान्, इन परिस्थितियों में आप राष्ट्रपति का निर्वाचन बारी-बारी से चाहेंगे? इसलिये मैं इस बात का जोरदार विरोध करूंगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसी साम्प्रदायिक आधार पर, अथवा क्रमिक प्रणाली या प्रान्तीय आधार पर किया जाये। हमें सर्वोत्तम व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनना चाहिये। यदि निर्वाचित राष्ट्रपति सर्वोत्तम व्यक्ति है, तो हम उसे दूसरी बार फिर चुन सकते हैं—वह सर्वोत्तम व्यक्ति होगा, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, चाहे वह उत्तर का हो, दक्षिण का अथवा पूर्व का। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम यह कभी नहीं बरदाश्त कर सकते कि राष्ट्रपति साम्प्रदायिक अथवा प्रान्तीय अथवा किसी और आधार पर चुना जाये। मेयर के निर्वाचन की परम्परा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लागू हो सकती। मेयर केवल एक नाममात्र का अध्यक्ष होता है। उसका काम केवल कारपोरेशन की बैठकों का सभापतित्व करना होता है। उसे कोई शासन सम्बन्धी अधिकार नहीं प्राप्त होते। इस परम्परा का एकमात्र उद्देश्य विभिन्न सम्प्रदायों को नगर के सर्वप्रथम नागरिक के उच्च और सम्मानित पद को सुशोभित करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिये आप परम्परागत प्रणाली को राष्ट्रपति के निर्वाचन की लिये नहीं लागू कर सकते। इसलिये मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं। इस सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं पेश किया गया। परन्तु हमारे सर्वोच्च नेताओं को भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी परम्परा अथवा व्यवस्था नहीं बनानी चाहिये जिससे कि हम अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रान्तीय आधार पर अथवा भारत के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम अथवा पूर्व या पारसी, ईसाई अथवा मुसलमान की दृष्टि से कर सकें। सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को ही राष्ट्रपति चुनना चाहिये। इसलिये श्रीमान् मैं राष्ट्रपति पद के लिये प्रान्तीय आधार पर निर्वाचन की परम्परा कायम करने का सख्त विरोध करता हूं।

***श्री आर.वी. धुलेकर** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): सभापति जी, जो यह पहली धारा पेश की गयी है उसके समर्थन में, मैं दो चार शब्द कहना चाहता हूं।

[श्री आर.वी. धुलेकर]

बहुत सी बातें इसके समर्थन में कही गयी हैं उन सबके सम्बन्ध में, मैं कुछ न कहूंगा। दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

पहली बात यह है कि कुछ लोगों ने यह कहा है कि देशी राज्यों में अब तक चुनाव की बहुत बुरी नीति बरती गयी है। ये सज्जन यहां पर उनकी सरकार द्वारा या शासन द्वारा निर्वाचित करके भेज दिये गये हैं; ऐसा कहा गया है कि इन सज्जनों को इस चुनाव में भाग न लेना चाहिये। मेरा कहना है कि यदि उचित नीति को देखा जाये तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जो शासक हममें सम्मिलित हो रहे हैं उनके साथ भी ब्रिटिश सरकार ने इतना ज्यादा अन्याय किया था जिसकी वजह से वह इतने भयभीत हैं और जैसा कि एक मसला है कि दूध का जला छाछ फूंक-फूंक कर पीता है। वह अन्याय सहते-सहते उनको यह मालूम होता है कि अगर संघ शासन में आयेंगे तो कदाचित हम कुचल दिये जायेंगे। मेरा कहना यह है कि उनको पहले यह नहीं समझना चाहिये कि वह गिरे हुये भारतवासी हैं। मैं तो समझता हूं कि उनकी भी परिस्थिति ही ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत रह कर वह जिस नीति को अपना सकते थे वैसी नीति को न अपना सके। इसलिये मैं समझता हूं कि इस समय इस बात को उठाना कि जो सदस्य नियोजित होकर आये हैं उनको अपने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग न लेना चाहिये, यह ठीक नहीं है; इसलिये मैं समझता हूं कि इस समय उनकी यह बात हमको जरूर ही मंजूर करनी चाहिये और उनको समय देना चाहिये ताकि वह पूरा-पूरा समझ सकें कि संघ शासन में आ जाने से जो शासक वर्ग है और उनकी प्रजा दोनों मिलकर भारतीय संघ में वही स्थान प्राप्त करेंगे जो हमें प्राप्त है। जब उनको संघ शासन का लाभ मालूम हो जायेगा उस समय जो उनकी निरंकुशता है वह भी समाप्त हो जायेगी और कुछ दिन बाद जो शासक हैं वे यह भी समझेंगे कि हम साधारण भारतवासी हैं और हमको भी वही अधिकार होने चाहियें जो हर एक साधारण प्रजा को मिलते हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रान्तीय धारासभायें जो हैं उनमें जो मेम्बर हैं उनके लिये यह विचार किया जायेगा कि वह कितने वोटों द्वारा चुने गये हैं। इसलिये यह प्रयत्न इसमें किया गया है कि एक तरफ संघ नीति इसमें लाई जाये जिसके लिये 'वेटेज' शब्द वहां दिया गया है। मेरा कहना यह है कि इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। हो सकता है कि कुछ सज्जनों ने इस बात को कहा होगा कि कुछ जगह पर ऐसा होगा कि जहां थोड़े

मनुष्य हों कि उनके अनुपात के अनुसार उनको अधिक मेम्बर मिल गये होंगे लेकिन मैं यह समझता हूं कि प्रत्येक मेम्बर को चाहे वह किसी प्रान्तीय सभा में हो, चाहे वह किसी शासक की तरफ से आया हो या और किसी तरह से आया हो उसको इतना गैर जिम्मेदार आदमी नहीं समझना चाहिये कि वह राष्ट्रपति के चुनाव में इस बात का ध्यान रखेगा कि मुझे दस हजार मनुष्यों ने चुना है या एक लाख ने। हम स्वयं इस बात को देखते हैं कि हमारे प्रान्त में किसी-किसी स्थान पर 50 हजार वोट एक मेम्बर को चुनते हैं, किसी जगह पर 10 हजार वोट भी या 15 हजार भी एक मेम्बर को चुनते हैं। लेकिन जो मनुष्य चुन कर आता है, तो मैं समझता हूं वह इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि कितने आदमियों ने उसे चुना है। जिस समय वह चुन कर आता है, अपने को पूरा जिम्मेदार व्यक्ति समझता है। इसलिये वह वहां भी ऐसी नीति अपनाता है जिसमें उसको पूरा जिम्मेदार व्यक्ति समझा जाये। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां जो बात रखी गयी है वह कुछ बहुत अच्छी नहीं मालूम होती लेकिन इसके रखने में बहुत हानि नहीं है। इसलिये मैं इसका कोई विरोध नहीं करता हूं।

इन दो शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्तावक, पण्डित जवाहरलाल नेहरू अब इस बहस का उत्तर दे सकते हैं।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त प्रान्त : जनरल): जनाब सदर, तरमीमें बहुत-सी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जोर एक बात में दिया गया है कि प्रेसीडेण्ट का चुनाव अडल्ट फरन्चाइज से हो यानी हर एक शख्य चुनाव में शरीक हो। एक तज़वीज़ यह है कि नाम राष्ट्रपति के बजाय नेता या कर्णधार हो, एक तरमीम यह है कि प्रेसीडेण्ट या राष्ट्रपति एक दफा उत्तर से हो और एक दफा दक्षिण से हो। एक तरमीम यह है कि अपर हाउस के मेम्बर भी इसके चुनाव में क्यों न शरीक हों।

और एक तरमीम यह है, मैं नहीं कह सकता कि यह पेश भी होगी या नहीं, कि प्रेसीडेण्ट एक दफा स्टेट का हो और एक दफा नान-स्टेट का हो।

एक तरमीम यह है कि जिसमें ओथ और औलिजियेन्स का जिक्र है।

मुझे अफसोस है कि सिवाय इस तरमीम के हम जहां मेम्बर लिखा है, वहां इलेक्टेड मेम्बर कर दिया जाये, मैं और कोई तरमीम मंजूर नहीं कर सकता। यहां पर इलेक्टेड के अलफाज़ से कोई खास बात नहीं पैदा हो जाती है। ड्राफ्टिंग

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

में यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है, लेकिन अगर आप इलेक्टेड के लफ्ज को यहां पर बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उसको मंजूर किये लेता हूं।

कुछ ओथ के मुतल्लिक भी कहा गया है। जाहिर है कि इसका जिक्र कान्स्टीट्यूशन में आयेगा। यहां पर इसके जिक्र की कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती है। जहां तक इस चीज का सवाल है कि प्रेसीडेण्ट का चुनाव उत्तर दक्खिन स्टेट या नान-स्टेट से हो, तो यह गलत उसूल मालूम होता है। इसलिये कि यह मुनासिब नहीं है कि एक दफा तो हम एक फिरके से प्रेसीडेण्ट चुनें और दूसरी दफा दूसरे फिरके से, लेकिन कायदा बनाना और कानूनी कायदा बनाना यह एक इन्तिहाई दर्जे की मुनासिब बात मालूम होती है।

जैसा आपने यह फरमाया कि प्रेसीडेण्ट के चुनाव में अपर हाउस के मेम्बर क्यों न हों; इस सिलसिले में, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारी स्टेट की यूनिट में और प्राविन्सेज के अपर हाउस में बहुत फर्क होगा। मैं नहीं कह सकता कि कहां-कहां अपर हाउस होंगे। दूसरी बात यह कि हमारे सूबों में और हमारी स्टेट के सूबों में फर्क होगा। पता नहीं कि उनके उसूल क्या होंगे और सूबों के उसूल क्या होंगे। अगर यह अख्तियार अपर हाउस को दिये जायेंगे तो इसमें बहुत गड़बड़ होगी। चुनाचे मेरी राय में यह बात बहुत ज्यादा साफ है कि सैंटर में दो हाउसेज को हक होगा और सूबों में और यूनिट्स में खाली लोयर हाउस को चुनाव का हक होगा। इसमें एक पेच है, जो साफ नहीं हुआ है, कि यूनिट को ज्यादा हक होगा या लेजिस्लेचर को ज्यादा होगा। यानी सैंटर लेजिस्लेचर में जो लोग मेम्बर होंगे उनका एक कोर्ट होगा और उनको कितना हक होगा, इसको बराबर-बराबर करना है। यह बात हमारे एडवाइजरों की है कि वह इसको साफ कर देंगे। लिहाजा इस वक्त मेरी राय में, जैसा मैंने अर्ज किया है और जैसा छपा हुआ है, इसको वैसा ही रहने देना चाहिए। इस बात को मैंने शुरू में भी कहा था और अब भी अर्ज करता हूं और अगर आप भी गौर करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि बेहतरीन तरीका यही है कि हम इस चीज को महदूद न कर दें। मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अडल्ट फ्रेन्चाइज जो होगा वह बहुत जरूरी होगा। यह बात जाहिर है कि जो लोग असेम्बली के मेम्बरान को चुनेंगे वह करोड़ों की तादाद में होंगे और माकूल आदमी होंगे। लिहाजा जब असेम्बली के मेम्बरान उन्हीं हजारों और करोड़ों आदमियों के वोट से मेम्बर होकर आयेंगे तो फिर क्या जरूरत है कि प्रेसीडेण्ट का चुनाव अडल्ट फ्रेन्चाइज से हो। लिहाजा अगर आप

चाहते हैं कि हम अपने कांस्टीटयूशन को जल्द से जल्द पास करके उस पर अमल करने लगें तो उन पेचीदगियों की वजह से जो पैदा हो रही हैं, हम जल्द से जल्द अपने बनाये हुए कान्स्टीट्यूशन पर अमल नहीं कर सकेंगे।

अगर आप प्रेसीडेण्ट का चुनाव अडल्ट फ्रेन्चाइज से करना चाहते हैं तो इसके मानी यह होंगे कि इलेक्शन करने में हमारा बहुत ज्यादा वक्त गुजरे और हम नये कान्स्टीट्यूशन पर अमल न कर सकेंगे। इसलिये मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह मैंने इसको आपके सामने रखा है आप भी इसको इसी शक्ल में मंजूर कर लें।

श्री महमूद शरीफ (मैसूर): एक चीज जरा साफ कर दीजिये कि अभी आपने फरमाया है कि क्लाज 2 (ए) में इलेक्शन।

तो जब आप इस तरमीम में नामजदगी के उसूल को तस्लीम करते हैं तो इस तरमीम को क्यों नही मंजूर करते और इसमें और उसमें तिजाद क्यों है?

पं. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त प्रांत : जनरल): आपने कौनसा क्लाज पढ़ा?

श्री महमूद शरीफ: पेज नाइन, क्लाज 14 ए।

पं. जवाहरलाल नेहरू: मैं नोमीनेशन मंजूर करता हूं या नामंजूर करता हूं इसका सवाल नहीं है। नोमीनेशन ऐसे खास किस्म का मंजूर करता हूं जो इसमें लिखा है, यानी प्वाइंट और साइंटिफिक बाडीज के लोग लिये जायें; यह तो सवाल नहीं है। मैंने इस वक्त अर्ज किया है कि प्रेसीडेण्ट का चुनाच इलेक्टेड मेम्बर करें।

अध्यक्ष: अब मैं वोट लेने के लिये पहले संशोधन पेश करूंगा। पहला संशोधन जो मैं पेश करने जा रहा हूं श्री चनया का है, जिसमें कहा गया है कि:

"खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में 'निर्वाचित' शब्द की जगह 'उत्तर अथवा दक्षिण भारत द्वारा बारी-बारी से,' शब्द रखे जायें।"

क्या मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि इस संशोधन के बारे में मुझे कितनी कठिनाई अनुभव हुई है? वे जो संशोधन पेश करना चाहते हैं, उसके अनुसार यह वाक्यखण्ड इस प्रकार पढ़ा जायेगा:

"संघ का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाएगा जो बारी-बारी से उत्तर भारत अथवा दक्षिण भारत से चुना जायेगा।"

[अध्यक्ष]

इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक साल केवल उत्तर भारत के सदस्य और अगले वर्ष केवल दक्षिण भारत के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। परन्तु मेरा विचार है कि उनका अभिप्राय सदस्यों से नहीं है, जो निर्वाचन में भाग लेंगे, बल्कि स्वयं राष्ट्रपति से है। मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है और अब मैं इस संशोधन को राय लेने के लिये पेश करता हूं।

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** अगला संशोधन मि. नजीरुद्दीन अहमद का है जो इस प्रकार है:

"खण्ड 1 के उपखण्ड (1) 'जैसी कि नीचे व्यवस्था की गई है' शब्दों की जगह 'निम्नांकित तरीके से' शब्द रखे जायें।"

यह एक मामूली सा संशोधन है। मैं नहीं जानता कि यह आवश्यक है। खैर, कुछ भी हो, मैं उसे राय लेने के लिये पेश करता हूं।

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्ष: अगला संशोधन रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय की ओर से पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:

"खण्ड 1 के उपखण्ड (2) के पैरा (ब) में 'अथवा जहां दो धारा-सभाएं हो वहां लोकसभा के सदस्य' शब्द हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्ष: श्री चेंगलराय रेड्डी की ओर से एक संशोधन पेश किया गया है कि:

"वाक्यखण्ड 1 के उप-वाक्यखण्ड (2) (ब) में जहां-कहीं 'सदस्य' शब्द का प्रयोग किया हो, उसकी जगह 'निर्वाचित सदस्य' शब्द रखे जायें।"

प्रस्तावक का यह संशोधन मंजूर कर लिया गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया।

अध्यक्षः अगला संशोधन श्री चन्द्रशेखरिया की ओर से उपस्थित किया गया है कि खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के बाद निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ दिया जाये:

"3 (ए) राष्ट्रपति बारी-बारी से रियासती और गैर-रियासती इकाइयों से चुना जायेगा।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्षः श्री चन्द्रशेखरिया की ओर से एक अन्य संशोधन पेश किया गया है कि खण्ड 1 के उप-खण्ड (4) के बाद निम्न नया उप-खण्ड जोड़ दिया जाये:

"(5) अमरीका के विधान की भांति राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की व्यवस्था की जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

अध्यक्षः अगला संशोधन सर एन. गोपालस्वामी आयंगर का है:

"खण्ड 1 के उपखण्ड (2) के अंतिम वाक्य में 'इकाइयों की धारासभाओं के वोट' की जगह 'इकाइयों की धारासभाओं के सदस्यों के वोट' शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हो गया।

अध्यक्षः मेरे विचार में इतने ही संशोधन पेश किये गये थे। इनमें से दो मंजूर कर लिये गये हैं। अब संशोधित प्रस्ताव वोट लेने के लिये पेश किया जाता है।

संशोधित खण्ड 1, स्वीकार कर लिया गया।

अध्यक्षः अब हम खण्ड 2 पर सोच विचार करेंगे। पंडित नेहरू कृपया उक्त खण्ड को पेश करें।

खण्ड 2

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा चाहता हूं कि:

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

"[1] राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। बशर्ते कि–

[अ] राष्ट्रपति राज्य परिषद् के चेरयमैन अथवा लोकसभा के स्पीकर को अपना त्यागपत्र न दे दे;

[ब] राष्ट्रपति को विधान का उल्लंघन करने पर पार्लियामेंट मुकदमा चलाकर नीचे लिखे उप-वाक्यखण्ड [2] के अनुसार न हटाए।

[2] [अ] विधान की अवहेलना करने पर जो अभियोग लगाया जायेगा उसे संघ पार्लियामेंट की दोनों सभाओं में से कोई भी सभा निश्चित करेगी। लेकिन यह दोषारोपण भी एक प्रस्ताव द्वारा किया जायेगा जिसे सभा के दो तिहाई सदस्य पास कर दें।

[ब] जब संघ पार्लियामेंट की दोनो में से कोई भी सभा ऐसा अभियोग निश्चित कर देगी तो दूसरी सभा उसी दोष की जांच करेगी और उसके कारणों का भी पता लगायेगी। राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने अथवा सफाई देने का अधिकार होगा।

[स] यदि जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप संपूर्ण सभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर आरोपित अभियोग की जांच-पड़ताल की गई हो अथवा जांच पड़ताल कराई गई हो– कि राष्ट्रपति पर लगाया गया अभियोग ठीक था, तो प्रस्ताव के पास होने की तिथि से ही राष्ट्रपति पदच्युत माना जायेगा।

[3] एक बार राष्ट्रपति बन जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को पुनः राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव लड़ने का केवल एक ही बार और अवसर दिया जायेगा।"

श्रीमान्, हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव के तीन हिस्से हैं। एक का सम्बन्ध राष्ट्रपति के कार्यकाल से है––जो पांच वर्ष रखा गया है। यह कोई बड़े सिद्धान्त की बात नहीं है, लेकिन खूब सोच-विचार के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे कि पांच वर्ष की अवधि काफी होगी। चार साल बहुत कम होंगे और पांच साल से अधिक निश्चय ही बहुत ज्यादा होंगे। इस प्रस्ताव के शेष भाग का सम्बन्ध

मुख्यत: राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने और अभियोग लगाने से है और इस खण्ड में अन्तिम बात यह कही गयी है कि कोई भी व्यक्ति केवल दो बार चुना जा सकता है। अर्थात् न केवल एक के बाद दूसरी बार अथवा लगातार दो बार बल्कि कुल मिलाकर दो बार। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिन्दगी में कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति नहीं रह सकेगा। इस प्रश्न पर जैसा कि सभी जानते हैं, अमरीका में बहुधा वाद-विवाद हुआ है और साधारणत: यह खयाल किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। नि:संदेह, पिछली लड़ाई में राष्ट्रपति रूजवेल्ट वास्तव में चौथी बार इस पद के लिये चुने गये, लेकिन इस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिये, वास्तव में दस साल की अवधि किसी भी साधारण शारीरिक शक्ति वाले व्यक्ति के लिये बहुत काफी है। सम्भवत: जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो वह बहुत कम आयु का न होगा। संभवत: चालीस पचास के दरमियान हो, और मेरी राय में, किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दस साल में अधिक समय तक उठाने के लिये कहना उचित नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट परिस्थितियों से मजबूर होकर चौथी बार राष्ट्रपति तो चुन लिये गये, लेकिन चुनाव के बाद वे केवल दो तीन महीने तक ही इस भार को संभाल सके। इसलिये मेरा विचार है कि दो बार से अधिक न चुने जाने का यह निश्चय एक अच्छा नियम है और हमें उस पर दृढ़ रहना चाहिये।

जहां तक इस खण्ड की अन्य बातों का प्रश्न है, मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना। अगर कोई संशोधन पेश किया जाए तो मैं उन पर बहस के अन्त में अपने विचार प्रकट करूंगा।

***अध्यक्ष:** इस खण्ड के सिलसिले में मेरे पास बहुत से संशोधन आये हैं।

***श्री एच.वी. पातस्कर** (बम्बई : जनरल): मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***अध्यक्ष:** श्री शिब्बनलाल सक्सेना!

***श्री शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैंने यह संशोधन पेश करने की सूचना दी है:

"खण्ड 2 के उपखण्ड (1) में संख्या '5' की जगह संख्या '4' रखी जाये।"

[श्री शिब्बन लाल सक्सेना]

अभी-अभी पंडित नेहरू बता रहे थे कि पांच वर्ष की यह अवधि क्यों निर्धारित की गई है और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के पद के लिये यह न तो बहुत लम्बी है और न बहुत छोटी ही। मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में, मैं एक बड़ी भारी त्रुटि की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाद में वाक्य खण्ड 13 के उप-वाक्यखण्ड (5) में कहा गया है कि:

"लोक सभा यदि भंग न की गई तो अपनी पहली बैठक के समय से चार वर्ष तक कार्य करेगी-उससे अधिक नहीं.....।"

इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल चार वर्ष होगा। इसी प्रकार हमारी धारासभाओं की अवधि भी चार ही वर्ष है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले निर्वाचन में राष्ट्रपति प्रान्तीय धारासभा अथवा लोकसभा के कार्यकाल के बाद भी एक वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहेगा। दूसरे निर्वाचन में वह लोकसभा के चुनाव के केवल दो वर्ष बाद चुना जायेगा, और उससे अगले चुनाव में तीन वर्ष बाद और इसी प्रकार आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के समय धारासभाएं पुरानी पड़ जाएंगी और वे देश के तत्कालीन जनमत का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी। राष्ट्रपति के प्रत्येक चौथे निर्वाचन में वे धारासभाएं भाग लेंगी जो कुछ महीनों के बाद स्वयं समाप्त हो जाएंगी। यह अत्यधिक अवांछनीय स्थिति होगी। सम्भवत: यह कहा जा सकता है कि धारासभायें हमेशा ही अपने निर्धारित चार वर्ष तक न जारी रह सकें और उन्हें उस अवधि से पूर्व ही भंग करना पड़ जाये। यह ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी-कभी ही पैदा हो सकती है, बहुधा नहीं। लगभग पन्द्रह धारासभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जायेगा। यदि अपनी साधारण निर्धारित अवधि से पूर्व उनमें से एकाध धारासभा भंग कर दी जाये और राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय उनके सदस्य नये सिरे से चुने गए हों, तो भी बाकी तेरह या चौदह धारासभाओं के सदस्य तो नये सिरे से नहीं चुने जायेंगे। और इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव के समय मतदाताओं की बहुत भारी संख्या आज के वास्तविक जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हर चौथे साल प्रान्तीय धारासभाओं के साधारण निर्वाचन के साथ ही हो।

इस सम्बन्ध मे यह तर्क पेश किया जा सकता है कि धारासभाओं के भंग हो जाने के बाद साधारण निर्वाचन के समय रखवालिया सरकार को

छोड़कर देश में कोई राष्ट्रपति नहीं होगा, और ऐसी हालत में कम से कम उसका होना आवश्यक है और वह काम चलाऊ राष्ट्रपति नहीं होगा। परन्तु श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति तो केवल उसी हालत में अपना पद-त्याग करेगा जबकि उसका कोई उत्तराधिकारी चुन लिया जायेगा। इस प्रकार उसका स्थान कभी खाली नहीं रहेगा और न ही उस स्थान पर कोई काम चलाऊ राष्ट्रपति रहेगा। यह भी सर्वथा सम्भव है कि पांच वर्ष की निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के चौथे साल के बाद जब धारासभाओं का नया चुनाव किया जायेगा तो नये सदस्य अपने जीवनकाल में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से वंचित हो जायें।

मैं इन त्रुटियों की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन मैं अपने संशोधन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

***अध्यक्षः** तो क्या फिर आप अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे?

***श्री शिब्बन लाल सक्सेनाः** नहीं।

***अध्यक्षः** भविष्य में मेरा खयाल है कि मैं सदस्यों से पहले अपने संशोधन पेश करने को कहूंगा और बाद में भाषण देने को।

***श्री मोहम्मद शरीफः** अध्यक्ष महोदय् मेरा संशोधन यह है कि:

''खण्ड 2 के उप-खण्ड (1) में संख्या '5' के स्थान पर संख्या '4' रखी जाये।''

इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच की बजाय चार वर्ष होगा। मेरा उद्देश्य धारासभा और राष्ट्रपति के लिये समान कार्यकाल निर्धारित करना है। ऐसा करना प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुरूप होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि धारासभा की अवधि चार वर्ष की होगी। यदि ऐसा ही है, तो धारासभा के समाप्त होते ही राष्ट्रपति का पद भी समाप्त हो जाना चाहिये और यदि इसके बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है तो यह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के खिलाफ होगा। शायद यह कहा जाये कि चार साल के बाद चुनाव होगा और यदि उस समय राष्ट्रपति का पद भी समाप्त हो जायेगा, तो शासन प्रबन्ध कौन चलाएगा? इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि चार साल खत्म होने

[श्री मोहम्मद शरीफ]

से दो तीन महीने पहले ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाये, ताकि चार साल समाप्त होने तक नया राष्ट्रपति चुन लिया जाये।

इन शब्दों के साथ, श्रीमान्, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

***श्री डी.एच. चन्द्रशेखरिया** (मैसूर): श्रीमान् सभापति, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि:

"खण्ड 2 के उपखण्ड (1) में संख्या और शब्द "5 वर्ष" के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें:

'4 साल अथवा नये राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक, इनमें जो भी घटना बाद में हो'।"

हमारे विधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष और लोकसभा का चार वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के दूसरे चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक साल पीछे रह जाता है, तीसरे निर्वाचन में दो साल और पांचवें निर्वाचन में चार साल। इस प्रकार आप देखेंगे कि ज्यों-ज्यों हम दूसरे चुनाव से पांचवें तक प्रगति करते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा से निरन्तर दूर ही दूर हटता जाता है। ऐसी स्थिति कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। उसके लिये कोई तर्क भी तो पेश नहीं किया जा सकता।

प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संघ पार्लियामेंट और प्राचीन धारासभाओं द्वारा किया जायेगा। इसलिये यह सर्वथा समीचीन होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संबद्ध धारासभाओं के मत का प्रतिनिधित्व करे और यदि राष्ट्रपति पुराना हो जाता है और वह धारासभाओं के मत का सही तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं करता तो राष्ट्रपति और संबद्ध धारासभाओं के मध्य संघर्ष होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसी संभावना को दूर करने के लिये यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भी वही होना चाहिये जो केन्द्रीय और प्राचीन धारासभाओं की लोक सभाओं का हो, अर्थात् राष्ट्रपति की अवधि और धारासभाओं की अवधि एक साथ संगत होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में यह तर्क पेश किया जा सकता है कि राष्ट्रपति के लिये पांच साल का कार्यकाल इसलिये निर्धारित किया गया है कि धारासभाओं की

समाप्ति पर शासन प्रबन्ध भंग न होने पाये और सरकारी नीति के पालन में कोई गड़बड़ न पैदा हो। जिन देशों में यह प्रणाली प्रचलित है, उनके अनुभव को देखते हुये मेरे विचार में ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाये तो भी इस कठिनाई को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके लिये नई धारासभाओं के बनने और नये राष्ट्रपति का चुनाव होने तक उसी राष्ट्रपति को कुछ समय के लिये और अपने पद पर बने रहने को कहा जा सकता है।

इस सिलसिले में मैं संसार के कुछ प्रख्यात विधानों की प्रथा का उल्लेख करना चाहता हूं। अमरीका में राष्ट्रपति का निर्वाचन चार साल की अवधि के लिये होता है और वह लोकसभा की दो अवधियों तक रहता है। स्विट्ज़रलैंड में संघ परिषद् चार साल के लिये चुनी जाती है और यही कार्यकाल लोकसभा का भी होता है। रूस में जनता के कमिसार चार साल के लिये निर्वाचित होते हैं और सोवियट यूनियन की परिषद् का कार्यकाल भी चार ही वर्ष का होता है। आयरलैंड् में राष्ट्रपति और लोकसभा दोनों का कार्यकाल सात वर्ष का होता है। इस प्रकार अन्य देशों में प्रचलित प्रथा यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वही होता है जो लोकसभाओं का। मेरे विचार में उसी प्रथा का अनुकरण हमारे विधान के लिये भी उपयुक्त है। मेरा ख्याल नहीं कि पांच वर्ष के कार्यकाल में कोई खास आकर्षण है। इसलिये अन्य देशों में प्रचलित प्रथा और राष्ट्रपति तथा लोकसभा के लिये समान कार्यकाल निर्धारित करने के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल है कि मेरा संशोधन बहुत युक्तियुक्त और ठोस है, और मुझे आशा है कि सभा उसे स्वीकार कर लेगी।

(संशोधन संख्या 102, 103 और 104 पेश नहीं किये गये।)

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, चूंकि विधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्थिति ऐसी है कि वह दुर्व्यवहार नहीं कर सकेगा, इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि मेरे लिये अपना संशोधन संख्या 104 पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं।

(संशोधन संख्या 106 से लेकर 120 तक पेश नहीं किये गये।)

भाग 4 खंड 2

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि:

"वाक्य खंड 2 के उपवाक्य खंड (3) के बाद निम्नलिखित नया उपवाक्यखंड जोड़ दिया जाये:

'(4) जो वाक्य उपखंड 2 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पद से हटाया जायेगा वह दो बार तक पुनः निर्वाचित नहीं हो सकेगा'।"

[रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय]

श्रीमान्, आपकी आज्ञा तथा सभा की आज्ञा से मैं अपने संशोधन में से "दो बार तक" ये शब्द निकाल देना चाहता हूं। उस हालत में मेरा संशोधन इस प्रकार होगा "जो व्यक्ति उपवाक्यखंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पद से हटाया जायेगा वह पुनः निर्वाचित नहीं हो सकेगा।" इस संशोधन के अन्तर्गत जिस सिद्धान्त का प्रतिपालन किया गया है वह इतना स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि मैं उसके समर्थन में कोई दलील पेश नहीं करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि विधान का मसविदा तैयार करते समय इस त्रुटि को दूर कर दिया जायेगा। इसी प्रकार का एक संशोधन प्रान्तीय विधान के सम्बन्ध में भी पेश किया गया था। इसलिये मैंने संघीय विधान के सम्बन्ध में भी ऐसा ही संशोधन पेश करना उचित समझा।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, चूंकि खण्ड 2 के उपखण्ड 3 के सम्बन्ध में मेरा संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिये मैं उसे पेश नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** वाक्य खण्ड 2 के सम्बन्ध में मुझे केवल इन्ही संशोधनों की सूचना दी गई थी। यदि कोई और संशोधन है, तो सदस्य जिन्होंने उनकी सूचना दी है, कृपया मुझे बता दें और उन्हें पेश करें। चूंकि कोई सदस्य संशोधन पेश करने के लिये खड़ा नहीं हुआ, इसलिये मेरा ख्याल है कि सभा अब इस वाक्यखण्ड और उसके सम्बन्ध में पेश किये गये संशोधन पर बहस कर सकती है।

क्या कोई सदस्य इस खण्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं?

माननीय सदस्यः अब वोट लीजिये।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** इस खण्ड के सम्बन्ध में दो संशोधन पेश किये गये हैं जिनमें से एक में भी ऊंची नीति का प्रश्न नहीं उठाया गया है। अन्तिम संशोधन में तो विशेष रूप से एक प्रत्यक्ष बात पर ही जोर दिया गया है। व्यावहारिक दृष्टि से किसी भी राष्ट्रपति के लिये, जिसे उसके पद से हटा दिया गया हो, पुनः निर्वाचन के लिये खड़ा होना असंभव है। मुझे तो इसमें कोई बड़ा सिद्धान्त निहित नहीं दिखाई देता। हम इस समय बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सोच विचार कर रहे हैं। अगर हमें इसके लिये कुछ और करना है तो उसे बाद में भी किया जा सकता है।

जहां तक कार्यकाल के सम्बन्ध में पेश किये गये संशोधन का सम्बन्ध है, उसका भी किसी बड़ी नीति से वास्ता नहीं है। हमने यह अवधि विभिन्न दृष्टियों

से निर्धारित की है, जिनके बारे में मुझे इस समय कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनमें से एक कारण यह है कि हम राष्ट्रपति का कार्यकाल अन्य निर्वाचनों की चार साल की अवधि के साथ नहीं रखना चाहते। बहुत से सदस्यों का ख्याल है कि एक और जहां प्रान्तीय अन्य धारासभाओं का निर्वाचन चार साल के बाद होगा, वहां दूसरी ओर केवल राष्ट्रपति का ही निर्वाचन पांच साल के बाद होगा। उनका यह भी ख्याल है कि कुछ समय बाद निर्वाचक पुराने पड़ जायेंगे, क्योंकि निर्वाचन हुए तीन-चार साल हो जायेंगे। यह ठीक है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष की निर्धारित अवधि का होगा, यदि उससे पूर्व उसकी मृत्यु न हो जाये अथवा उस पर अभियोग न चलाया जाये अथवा उसे कुछ और न हो जाये। परन्तु जहां तक प्रान्तीय और अन्य निर्वाचनों का सम्बन्ध है, जैसा कि स्पष्ट है और संभव भी है कि चार साल की अवधि का कड़ाई के साथ पालन न हो सके, समय-समय पर चुनाव करने आवश्यक हो जायेंगे। कोई ऐसी घटना घट सकती है कि निर्वाचन निर्धारित अवधि से पूर्व ही करना पड़े, मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो सकता है कि उसे धारासभा का विश्वास प्राप्त न रहे, इसी प्रकार की बहुत सी बातें हो सकती हैं। देश में कितनी ही प्रान्तीय धारासभाएं होंगी और आप कभी यह नहीं कह सकते कि धारासभाओं के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धारासभाओं के सदस्यों में हर साल अथवा हर तिमाही में परिवर्तन होते रहेंगे। इसलिये इस ऐतराज में कोई दम नहीं है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकों द्वारा किया जायेगा जो स्वयं कई साल पूर्व चुने गये होंगे। निर्वाचकों में हर समय परिवर्तन होता रहेगा और चार साल की अवधि तो केवल अधिकतम अवधि होगी। हो सकता है कि एक साल या छः महीने तक निर्वाचकों में कोई परिवर्तन न हो और नये निर्वाचन आजकल की भांति ही होंगे। इसलिये श्रीमान्, सभी बातों का ख्याल करते हुए, मेरी राय में पांच साल की अवधि ही बेहतर है।

***अध्यक्षः** मैं संशोधन को वोट लेने के लिये पेश करता हूं।

प्रश्न यह है कि:

"खण्ड 2 के उप-खण्ड [1] में संख्या "[5]" के स्थान पर संख्या "[4]" रखी जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** अब मैं दूसरे संशोधन पर वोट लेता हूं।

संशोधन यह है कि:

"खण्ड 2 के उपखण्ड (1) में संख्या और शब्द '5 वर्ष के' स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें:

'4 वर्ष अथवा नये राष्ट्रपति का निर्वाचन होने, तथा उनमें से जो भी घटना पहले हो'।"

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहायः** श्रीमान्, मैं इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरी राय में मेरे संशोधन (संख्या 121) पर नकारात्मक वोट लेना मुनासिब नहीं होगा। मैं उसे विधान का मसविदा तैयार करने वालों की मर्जी पर छोड़ देना अधिक अच्छा समझता हूं। इस संशोधन की अस्वीकृति का अर्थ, इस सभा की राय में यह होगा कि अभियुक्त राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन में भाग ले सकेगा। यदि माननीय प्रस्तावक संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं उसे अस्वीकृत होने की बजाय वापस लेना अधिक बेहतर समझता हूं।

***अध्यक्षः** तो मैं यह समझ लेता हूं कि सभा माननीय संशोधक को अपना संशोधन वापस लेने के पक्ष में है।

सभा की मंजूरी से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार कर लिया जाये।

खण्ड 2 स्वीकृत हो गया।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाक्यखण्ड 3 स्वीकृत कर लिया जाये, जो इस प्रकार है:

"3. संघ का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु 35 वर्ष की पूरी हो चुकी है और जो लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकारी है, राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव लड़ सकेगा।"

यह एक बड़ा सरल सा प्रस्ताव है, मेरे विचार में इसके समर्थन के लिये कोई दलील पेश करने की जरूरत नहीं है। यह ख्याल किया जाता है

कि जिस व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु तक कोई खास काम नहीं किया है, वह बाद में भी कुछ नहीं कर सकेगा। फिर भी, साधारणतः भारत में और खासकर अन्य जगहों में, कभी-कभी 35 साल तक तो लोगों को कुछ करने का अवसर ही नहीं मिलता। दूसरे ही लोग रंगमंच को संभाले रहते हैं। बहरहाल, 35 वर्ष की आयु कोई बहुत बड़ी सीमा नहीं है। मेरी राय में यह एक मुनासिब अवधि ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जायेगा उसे कम से कम बारह वर्ष या उससे अधिक समय मिल जायेगा, जिसमें वह व्यक्ति अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसलिये मेरा खयाल है कि उम्मीदवारों को वंचित रखने के लिये यह एक काफी सुरक्षित आयु-मर्यादा है। मुझे उम्मीद है कि सभा इस वाक्यखण्ड को मंजूर कर लेगी।

(संशोधन संख्या 123 से 128 तक पेश नहीं किये गये।)

***श्री एच.वी. कामतः** यद्यपि मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता, फिर भी मैं पण्डित नेहरू से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसी प्रकार के उद्देश्य के लिये प्रान्तीय विधान में हमने "जो 35 वर्ष की आयु तक पहुंच गया हो" शब्दों का प्रयोग किया था, परन्तु इस जगह हम "जिसने 35 वर्ष पूरे कर लिये हों" शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम यहां विभिन्न भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है?

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** मुझे खेद है कि जो कुछ श्री कामठ ने कहा है, मैं उसे नहीं सुन सका। बहरहाल, प्रान्तीय विधान की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है। मेरा खयाल है कि ये शब्द अधिक बेहतर हैं। "पूरे" का अर्थ निश्चित रूप से वही है, जो होना चाहिये। दूसरे शब्दों के क्या मानी है, यह मैं नहीं जानता। (*हंसी*)

(श्री ठाकुरदास भार्गव, श्री राजकृष्ण बोस और श्री कामठ ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***अध्यक्षः** मेरा खयाल है कि मेरे पास कुल इतने ही संशोधनों की सूचना पहुंची थी। मेरा खयाल है कि अब और संशोधन नहीं रहे। अब मै इस वाक्यखण्ड पर राय लेता हूं।

वाक्यखण्ड 3 स्वीकृत हो गया।

खण्ड 4

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** मैं राष्ट्रपति पद की शर्तों से सम्बन्ध रखने वाले वाक्यखण्ड संख्या 4 को पेश करता हूं:

"(1) राष्ट्रपति संघ पार्लियामेण्ट की किसी भी सभा का सदस्य नहीं होगा और यदि संघ की किसी सभा का सदस्य राष्ट्रपति चुना जाएगा तो वह सम्बद्ध सभा का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) राष्ट्रपति किसी अन्य पद अथवा सवैतनिक कार्यभार को ग्रहण नहीं कर सकेगा।

(3) राष्ट्रपति को रहने के लिए सरकारी मकान मिलेगा और उसे वह सब वेतन और भत्ते मिलेंगे जो संघीय पार्लियामेण्ट के कानून द्वारा निश्चित कर दिये जायेंगे और इस बीच उसे वेतन और भत्ता निर्धारित तालिका के अनुसार मिलता रहेगा.....।

(4) राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता उसके कार्यकाल के दौरान में घटाया नहीं जा सकेगा।"

एक मामूली-सा विषय है, जो मेरा खयाल है कि स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये और उसे स्पष्ट करने के लिये मैं संशोधन मानने को तैयार हूं। उपवाक्यखण्ड (1) में कहा गया है कि "राष्ट्रपति संघ पार्लियामेंट की किसी भी सभा का सदस्य नहीं होगा"; प्रत्यक्ष है कि उसे किसी प्रान्तीय धारासभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिये। मेरा खयाल है कि इस बारे में कोई संशोधन पेश किया जायेगा। अगर ऐसा कोई संशोधन पेश किया गया तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा।

***नवाब मोहम्मद इस्माइल खां** (संयुक्त प्रान्त : मुस्लिम): क्या मैं प्रस्तावक महोदय से पूछ सकता हूं कि "राष्ट्रपति किसी सवैतनिक कार्यभार को ग्रहण नहीं कर सकेगा" शब्दों से उनका क्या अभिप्राय है? क्या इसके मानी ये हैं कि वह किसी कम्पनी का डाइरेक्टर भी नहीं रह सकता अथवा इसका अर्थ केवल यह है कि वह किसी सरकारी सवैतनिक कार्यभार को ग्रहण नहीं कर सकता?

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** वह कोई और पद अथवा सवैतनिक कार्यभार नहीं ग्रहण कर सकता, चाहे वह कुछ भी हो। वह कोई भी ऐसा पद ग्रहण नहीं कर सकता जिससे उसे कुछ आर्थिक लाभ पहुंचता हो।

***नवाब मोहम्मद इस्माइल खां:** मुझे आशा है कि आप यह बात स्पष्ट कर देंगे।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** यह बिल्कुल स्पष्ट है। यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है। जैसा कि सभा को मालूम है, यहां तक कि मन्त्री भी किसी कम्पनी के डाइरेक्टर नहीं हो सकते। यही परम्परा कितने ही पदों में प्रचलित है, यद्यपि यह कानून नहीं बनाया जा सकता। जहां तक राष्ट्रपति का प्रश्न है, उसे किसी कम्पनी में डाइरेक्टर का पद अथवा किसी कारबार में कोई नफे का पद नहीं ग्रहण करना चाहिये।

***डा. पट्टाभि सीतारमैया** (मद्रास : जनरल): लेकिन शब्दों से तो ऐसे मानी नहीं निकलते।

***अध्यक्ष:** जब सब संशोधन पेश हो चुकेंगे तो हम इस पर बहस करेंगे।

(श्री सेठ गोविन्ददास, श्री अजित प्रसाद जैन, श्री एस. बी. कृष्णमूर्ति राव और श्री नजीरुद्दीन अहमद ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाक्य खण्ड (4) के उपवाक्य खण्ड (2) के स्थान पर निम्न वाक्य–खण्ड रखा जाये:

> **''(2) राष्ट्रपति संघ अथवा प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत अथवा किसी स्थानीय संस्था में या उसके अन्तर्गत अथवा किसी कारबारी संस्था में या उसके अन्तर्गत (चाहे उस संस्था की रजिस्टरी हो या नहीं) अवैतनिक रूप से अथवा, सवैतनिक रूप से या भत्ता लेकर किसी कार्यभार या पद को ग्रहण नहीं कर सकेगा।"**

श्रीमान्, मैं देखता हूं कि सभा के कुछ माननीय सदस्यों को इस बात का खयाल आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी सवैतनिक कार्यभार अथवा पद को ग्रहण नहीं कर सकेगा, परन्तु सम्भव है कि यह किसी कारबारी संस्था में कोई अवैतनिक पद ग्रहण करे। यदि उसका सम्बन्ध किसी धार्मिक दातव्य, शिक्षा संस्था अथवा ऐसी ही किसी और संस्था से है तो उसमें कोई आपत्ति न होनी चाहिये, लेकिन मेरी राय में यदि उसका सम्बन्ध किसी कारबारी संस्था से हो, भले ही वह अवैतनिक रूप में हो, फिर भी वह बहुत आपत्तिजनक होगा। कोई भी कारबारी संस्था राष्ट्रपति को अपना संरक्षक बनाने को तत्पर होगी और

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

बहुत सम्भव है कि इस तरह से वह उसके लिये काफी कारबार उपलब्ध कर दे। उसका परिणाम राष्ट्रपति को दलगत राजनीति के चंगुल में फंसा देना होगा। मेरी राय में उसे इस प्रकार के कारबारी सम्पर्क रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। मैं यह आग्रह इस उद्देश्य से कर रहा हूं ताकि मसविदा तैयार करने वाली समिति इसे अपने ध्यान में रखे। मैं सभा से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

***श्री एच.वी. पातस्करः** वाक्यखण्ड 4 के उप-वाक्यखण्ड (2) के कारण कुछ आशंका पैदा हो गई थी, इसलिये मैंने यह संशोधन पेश करने की सूचना दी थी कि "न ही वह किसी कारबार, अथवा नफे में दिलचस्पी लेगा"। श्रीमान्, मुझे अब पता चला है कि इस वाक्यखण्ड का यह उद्देश्य नहीं है कि राष्ट्रपति किसी कारबार में किसी किस्म की दिलचस्पी ले, इसलिये मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा। लेकिन, फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जब विधान का मसविदा अन्तिम रूप से तैयार किया जाये तो इस चीज को और अधिक साफ कर दिया जाये।

***श्री टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार** (मद्रास : जनरल): मेरे संशोधन का सम्बन्ध उन नियुक्तियों से है जो राष्ट्रपति का पद पर रह चुकने के बाद की जायेंगी। मैं यह बात प्रस्तावक की मर्जी पर छोड़ देना चाहता हूं कि यदि वे चाहें तो उसे मंजूर कर लें या रद्द कर दें और यदि उसे वे मंजूर नहीं करते तो मैं उस पर राय नहीं लेना चाहता।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** यह किस संशोधन का जिक्र हो रहा है?

***अध्यक्षः** श्री रामालिंगम चेट्टियर ने जिस संशोधन की सूचना दी थी, वह इस प्रकार है: "जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह चुका हो, वह संघ के किसी पद पर सवैतनिक रूप से नियुक्त होने का अधिकारी नहीं होगा।'' अर्थात्, जब वह राष्ट्रपति नहीं रहेगा, उसे किसी पद पर नियुक्त न किया जाये। संशोधन नियमित रूप से पेश नहीं किया गया। इसलिये हम आगे चलते हैं।

(श्री गोविन्ददास, श्री डी.पी. खेतान, श्री मुनिस्वामी पिल्ले और श्री पी.एम. वेलायुदपाणि द्वारा अपने संशोधन पेश नहीं किये गये।)

***श्री के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय! मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि वाक्यखण्ड 4 के उप-खण्ड 3 में से "जो संघ पार्लियामेंट के कानून द्वारा निश्चित कर दिये जायेंगे और जब तक ..... इत्यादि" शब्द निकाल दिये जायें।

श्रीमान्, संघ का राष्ट्रपति सम्पूर्ण राष्ट्र के शासन प्रबन्ध का सर्वोच्च अधिकारी होगा, इसलिये एक बार राष्ट्रपति चुने जाने पर उसे सभी प्रकार के दलगत प्रभाव से सर्वथा दूर रहना चाहिये। लेकिन यदि उसको वेतन और भत्ते संघीय पार्लियामेंट के किसी कानून द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, तो यह सर्वथा संभव है कि वह इस बारे में सदैव यथेष्ट रहेगा कि उसका वेतन संघ के दल विशेष के प्रभाव पर निर्भर करता है, इसलिये बहुत सम्भावना है कि कभी-कभी वह इसी भावना से प्रेरित होकर काम करे। इसलिये, श्रीमान्, यह नितान्त आवश्यक और सर्वथा वांछनीय है कि राष्ट्रपति के केवल वेतन के प्रश्न को दलगत राजनीति के प्रभाव से दूर रखा जाये ताकि उसकी कार्रवाइयों के बारे में निष्पक्ष होने का यकीन हो सके और इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। मुझे आशा है कि माननीय प्रस्तावक द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

(श्री बी.एम. गुप्ते, श्री आर.के. सिधवा, श्री विश्वनाथ दास, श्री ठाकुरदास भार्गव, श्री श्यामनन्दन सहाय और श्री एस. नजलिंगप्पा ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

अध्यक्ष महोदय! मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 के उप-खण्ड 4 में "घटाया जा सकेगा" शब्दों की जगह "परिवर्तन किया जा सकेगा" शब्द रखे जायें।

मसविदे में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का वेतन घटाया नहीं जा सकेगा; लेकिन इसके साथ ही यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान में उसका वेतन बढ़ाया भी नहीं जा सकेगा। इसका कारण भी वही है जो मैंने अपना पिछला संशोधन पेश करते समय दिया था, अर्थात् राष्ट्रपति को किसी भी तरह से यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि उसका वेतन पार्लियामेंट के किसी कानून पर निर्भर करता है, और इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसके वेतन की मात्रा स्वयं विधान के कानून द्वारा निर्धारित की जाये।

***श्री रामनारायण सिंहः** (बिहार : जनरल): सभापति महाशय, मेरा प्रस्ताव है कि जो राष्ट्रपति हो वह किसी पार्टी का आदमी न हो। जिस वक्त पहला प्रस्ताव ओब्जेक्शन का इस सभा में पेश हुआ था और जिसमें क्या-क्या हमारे डिफेक्टिव हैं बतलाया गया था, उसमें भी मैंने एक संशोधन दिया था जिसका मतलब था कि हमारे कान्स्टीट्यूशन में एक प्रोसिडुअरी सेक्शन दफा लगा दी जाये कि जिससे देश में कोई पार्टी लीगल न समझी जाये। किसी तरह की पार्टी हो, चाहे किसी आदमी के नाम पर पार्टी हो या किसी सिद्धान्त पर, सब तरह की पार्टियां नाजायज करार दे दी जायें और उसकी वजह है।

दुनिया में कई मुल्कों में सिस्टम की सरकार चलती है और वह लोग फक्र भी करते हैं कि उनके यहां डैमोक्रेसी है। मेरी राय में, और मैं समझता हूं कि अगर आप लोग समझेंगे, देश के लोग समझेंगे तो सबको मालूम हो जायेगा कि डैमोक्रेसी का मतलब होता है पंचायती राज और पंचायती राज इतना पाक और साफ चीज मालूम होता है कि पार्टी सिस्टम आफ गवर्नमेंट और डैमोक्रेसी में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कहा जाता है कि पंच तो परमेश्वर है। पंचायती राज्य को करीब-करीब परमेश्वर राज्य समझा जाता है। जब पार्टी सिस्टम की बात आती है तो मैं कह सकता हूं कि कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि यह धूर्तों का राज्य है। कभी-कभी ऐसा मालूम होने लगता है जैसे उस पार्टी में कोई भला आदमी ही न हो। दो-चार धूर्त लोग पार्टी बना लेते हैं और पंचायती राज्य के नाम पर अपना राज्य करने लग जाते हैं। मैं सारे देश के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि इस पार्टी सिस्टम को किसी तरीके से खत्म करना ही होगा। जब तक पार्टी सिस्टम चलता है जब तक पार्टी की हकूमत चलती है तब तक पंचायती राज्य डैमोक्रेसी का नाम नहीं रह सकता। पार्टी सिस्टम डैमोक्रेसी को समूल नाश करने वाली चीज है।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर (वैधानिक आपत्ति पर)। जनाब सदर, मैं महज जानना चाहता हूं कि मेरे मोशन का इससे क्या ताल्लुक है।

***अध्यक्षः** उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है कि "राष्ट्रपति का सम्बन्ध किसी पार्टी से नहीं होना चाहिये।"

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** मैं इसका महत्व समझना चाहता हूं।

अध्यक्षः वे राष्ट्रपति पद के लिये खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिये अयोग्यता निर्धारित करना चाहते हैं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** ऐसी अयोग्यता जिसे नापातोला जा सके, उसका वास्तविकता से तो कुछ सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये।

***अध्यक्षः** जहां तक संशोधन का प्रश्न है, मैं उसे अनियमित घोषित नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण सिंहः जी, मैं अर्ज किये देता हूं। मैं पार्टी सिस्टम को कंडम कर रहा हूं और बुरा कहता हूं और यह कहता हूं कि किसी पार्टी का हमारा प्रेसीडेंट न होना चाहिये और यह मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी सिस्टम को लोग भूल से पंचायती राज्य कह दिया करते हैं। नजीर के लिये मैं इस तरह समझा हूं कि किसी समाज में ऐसेम्बली में 300 आदमी उस पार्टी में हैं।

***अध्यक्षः** आप सारे पार्टी सिस्टम पर बहस न कीजिये। आप यह कहिये कि प्रेसीडेंट किसी पार्टी का न होना चाहिये। सारे पार्टी सिस्टम पर बहस नहीं हो सकती है।

***श्री रामनारायण सिंहः** शिरोधार्य आपकी आज्ञा मैं इस पर नहीं बोलूंगा। यह सही है, लेकिन जब तक पार्टी सिस्टम को मैं कत्ल नहीं करता हूं तब तक मुझको इस संशोधन का समर्थन करना मुश्किल हो जायेगा। ताहम मैं इस पर इस वक्त ज्यादा जोर न दूंगा। आप समय देंगे और इस पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन यह जरूरी बात है कि वह आदमी किसी दल का नहीं होना चाहिये।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, मैं खण्ड 4 के उपखण्ड 1 के सम्बन्ध में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। जो इस प्रकार है:

"खण्ड 4 के उप-खण्ड 1 के स्थान पर निम्न खण्ड रखा जाये:

> **'राष्ट्रपति पार्लियामेण्ट अथवा किसी धारा सभा का सदस्य नहीं होगा और यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाये तो वह पार्लियामेण्ट अथवा सम्बद्ध धारा सभा का सदस्य नहीं रहेगा'।"**

[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर]

उपखण्ड 1 का सिद्धान्त जो सभा के सम्मुख इस समय उपस्थित मसविदे के अनुसार केवल संघीय पार्लियामेंट पर लागू होता है, इस संशोधन के परिणामस्वरूप इकाइयों की धारासभाओं के सदस्यों पर भी लागू होगा। मैंने जानबूझ कर "पार्लियामेंट" और "धारासभा" शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि इस दस्तावेज के मसविदे के सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों को अपनाया गया है, उनके अन्तर्गत "पार्लियामेंट" शब्द का प्रयोग संघ की धारासभा से है और "धारासभा" शब्द का सम्बन्ध इकाइयों (प्रान्तों) की धारासभाओं से है। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्षः** सब संशोधन पेश हो चुके हैं। मूल प्रस्ताव और संशोधनों पर अब बहस की जा सकती है।

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मैं इस खण्ड का ज्यों का त्यों समर्थन करता हूं, परन्तु मैं यह अनुभव अवश्य करता हूं कि मसविदा तैयार करते समय उसमें कुछ बातों का उल्लेख किया जाना जरूरी है।

मेरे माननीय मित्र श्री रामनारायण सिंह ने एक संशोधन पेश किया था, जो उसके वर्तमान में उपयुक्त नहीं है। राष्ट्रपति को किसी न किसी दल की ओर से चुनाव में खड़ा होना है। लेकिन निर्वाचन के बाद यह नितान्त आवश्यक है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से अपना नाता न रखे।

जैसा कि आप जानते हैं कि इस बारे में काफी विवाद रहा है कि क्या असेम्बली का अध्यक्ष किसी दल से अपना सम्बन्ध कायम रख सकता है, अथवा नहीं। इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। मुझे आशा है कि नये विधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति गवर्नरों और धारासभाओं के अध्यक्षों का किसी भी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का भी कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

इसके अलावा एक और सवाल कारबारी सम्बन्ध रखने के बारे में है। निःसंदेह "सवैतनिक कार्यभार" के अन्तर्गत कितनी ही चीजें शामिल हैं, लेकिन इसमें अन्य बातों का समावेश नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर किसी कम्पनी में शेयर होने की बात ही लीजिये। राष्ट्रपति को शेयर लेने से रोकना सम्भव नहीं है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि जब वह राष्ट्रपति चुन लिया जाये तो सम्बद्ध कम्पनी में अपने शेयरों की तादाद आदि बातें स्पष्ट रूप से घोषित कर दे

ताकि जनता वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाये। अपने कार्यकाल में सिवाय किसी विशिष्ट कार्य प्रणाली के जरिये उसे किसी कम्पनी के शेयर अथवा अचल सम्पत्ति खरीदने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। हमें राष्ट्रपति को इन झंझटों और जटिलताओं से दूर रखना चाहिये। अन्यथा, सभी प्रकार की अफवाहें और झूठी बातें फैल जाने की आशंका है। राष्ट्रपति को बदनाम करने के लिये कितनी ही बातें फैल सकती हैं। मुझे आशा है कि विधान का मसविदा तैयार करने के लिये जो मसविदा-समिति स्थापित की जायेगी वह इन बातों का पूरा-पूरा ख्याल रखेगी और हमारे सामने एक अच्छा, श्रेष्ठ और व्यापक मसविदा उपस्थित करेगी, जिसे विधान के अन्तर्गत शामिल किया जा सकेगा।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्रः** श्रीमान् सभापति, मैं अभी-अभी पेश किये हुये संशोधन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

मेरे माननीय मित्र मि. इस्माइल के सवाल के जवाब में प्रस्तावक ने यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी है कि संघ के राष्ट्रपति को किसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनी अथवा लिमिटेड कम्पनी में कोई पद ग्रहण करने की आज्ञा नहीं होगी। वह किसी रजिस्टरी शुदा अथवा गैर रजिस्टरी शुदा संस्था का डाइरेक्टर नहीं बन सकता। वह किसी और तरीके से वेतन अथवा किसी और किस्म का आर्थिक लाभ नहीं उठा सकता। यह सिद्धान्त निःसंदेह बड़ा उत्तम और ठोस है। राष्ट्रपति पद पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसकी निष्ठा और भक्ति राष्ट्र के सिवाय किसी और संस्था इत्यादि के प्रति नहीं होनी चाहिये। ऐसा व्यक्ति जिसने फिलहाल अपनी सारी शक्ति देश सेवा के लिये अर्पित कर दी हो, उसे अपने कार्यभार के अतिरिक्त किसी और बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। उसकी समस्त शक्ति और ध्यान केवल अपने कर्त्तव्य पालन की ओर ही लगाना चाहिये।

मुझे इस बारे में यद्यपि कोई आशंका नहीं है और मुझे पूर्ण आशा है कि यह सभा भी इस बात से सहमत होती कि उसें कोई सवैतनिक कार्यभार ग्रहण नहीं करना चाहिये, फिर भी मेरी राय है कि हमें इससे एक कदम आगे और बढ़ना चाहिये। मेरे विचार में राष्ट्रपति को कोई अवैतनिक पद भी ग्रहण नहीं करना चाहिये। मिसाल के तौर पर यह किसी व्यापार मंडल, मजदूर संघ अथवा इसी तरह की किसी और संस्था का अध्यक्ष नहीं हो सकता। मेरा कथन यह है कि उसे इन अवैतनिक पदों से भी दूर ही रहना चाहिये, क्योंकि सम्भव है कि इस तरह से उसके पद से वर्ग विशेष अपना स्वार्थसाधन करने की कोशिश करे। मैं इस सिलसिले में कोई नियमित संशोधन नहीं पेश करने जा रहा। मुझे आशा है और मैं यकीन

[पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र]

भी करता हूं कि जब अन्तिम रूप से मसविदा तैयार होगा तो माननीय प्रस्तावक इन बातों का ख्याल रखेंगे और यह कोशिश करेंगे कि अन्तिम मसविदे में इन्हें शामिल कर लिया जाये।

इस बात से हम सभी सहमत हैं कि राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिस पर कोई अंगुली तक भी न उठा सके। इसके लिये हमें ये सही कदम उठाने चाहियें और यहां तक कि जैसा मेरे माननीय मित्र श्री रामनारायण सिंह ने सुझाव रखा है, हमें कड़े से कड़ा कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिये। आप दल विशेष से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिये खड़ा होने से रोक नहीं सकते। परन्तु ज्यों ही वह संघ का राष्ट्रपति चुन लिया जाये, उसे निश्चित रूप से अपने सभी राजनीतिक सम्बन्ध और राजनीतिक संस्थाओं से अपना सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिये। उसे किसी भी दल से अपना सम्बन्ध कायम नहीं रखना चाहिये। इस पर तो बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं। यह एक प्रत्यक्ष और निर्विवाद तथ्य है। मैं आशा करता हूं कि जब अन्तिम रूप से मसविदा तैयार होगा तो माननीय प्रस्तावक इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे राष्ट्रपति की स्थिति पर कोई आंच न आ सके और उस पर कोई अंगुली तक न उठा सके।

***श्री एम.एस. अणे** (दक्षिण और मद्रास रियासतें): अध्यक्ष महोदय, मैं "सवैतनिक कार्यभार" शब्दों के सम्बन्ध में एक-दो सुझाव रखना चाहता हूं, ताकि जब यह स्मृति-पत्र अन्तिम मसविदा तैयार करने के लिये मसविदा-समिति के सामने पेश किया जाये, तो उन पर ध्यान दिया जा सके।

यह कहा गया है, और सर्वथा ठीक ही कहा गया है कि "सवैतनिक कार्यभार" शब्द इतने व्यापक नहीं हैं कि जिनके अन्तर्गत कितने ही ऐसे पद भी शामिल हों जिनके लिये पारिश्रमिक दिलाना हो और इसलिये उन्हें और अधिक स्पष्ट कर देना जरूरी है। मैं एक दो बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिनकी ओर शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया। उदाहरण के तौर पर, मध्य प्रान्त और बरार में मौरूसी (पैतृक) देहाती अफसर जिन्हें पाटिल और पटवारी कहा जाता है, चुनने की प्रणाली प्रचलित थी, इसी तरह के अन्य व्यक्ति भी हैं, जो भूतपूर्व परगना अफसर, देशमुख और देशपाण्डे इत्यादि कहलाते हैं। पुराने जमाने में ये लोग वास्तविक परगना अफसर होते थे और उसी पद की स्वीकृति रूप में

ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाता है। मेरे माननीय मित्र डा. पी.एस. देशमुख जो इस सभा में हमारे एक सहयोगी भी हैं, इसी श्रेणी के अन्तर्गत शामिल हैं। इस वर्ग के लोगों को कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है, जो "रस्म" कहलाता है, इन लोगों को भूतपूर्व परगना अफसर कहा जाता है। अब तक चुनाव से सम्बन्ध रखने, सभी मामलों में, मध्य प्रान्त और बरार में पाटिलों, पटवारियों और इन परगना अफसरों को ऐसे सवैतनिक पदाधिकारी नहीं समझा जाता था, जिन्हें चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की इजाजत न हो, हालांकि आम शहरियों को यह हक हासिल नहीं था। दूसरी बात जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि पुराने राजघरानों के लोगों को कुछ राजनीतिक पेन्शन दी जाती है, इन्हें पारिश्रमिक नहीं कहा जाता। क्या इस श्रेणी के लोगों को राष्ट्रपति पद के लिये खड़ा होने की आज्ञा न होगी? यह वेतन नहीं है, बल्कि एक तरह से मुआवजा है जो उनके शाही पूर्वजों से लिये गये प्रदेश इत्यादि के बदले में उन्हें दिया जाता है; यह निजी सम्पत्ति से मिलता जुलता है। देश के जिस भाग में मैं रहता हूं, वहां ये दो प्रकार के वेतन प्रचलित हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि विधान का मसविदा तैयार करने वाली समिति मसविदा बनाते समय इन बातों का ध्यान रखे ताकि इस वाक्यखण्ड के अन्तर्गत इन्हें "वेतन" सम्बन्धी वर्ग में सम्मिलित न किया जाये।

जहां तक मेरे मित्र श्री रामनारायण सिंह के संशोधन का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाये, भले ही उसका सम्बन्ध किसी भी दल से रहा हो, उसे उस दल से अपना नाता तोड़ लेना चाहिये और निर्दल व्यक्ति बन जाना चाहिये, लेकिन उस पद पर अधिष्ठित होने से पूर्व आप किसी व्यक्ति से निर्दल-व्यक्ति होने की आशा नहीं कर सकते। यह तो ऐसा होगा जैसे कि मछली को पानी से दूर रहने को कहा जाये। व्यक्ति को किसी न किसी दल से अपना सम्बन्ध अवश्य रखना चाहिये, यह जरूरी नहीं कि उसका सम्बन्ध कांग्रेस की तरह किसी राजनीतिक दल से ही हो। उसका ताल्लुक किसी और दल से हो सकता है। उसका सम्बन्ध किसी धार्मिक दल से भी हो सकता है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसलिये यह ख्याल कर लिया जाता है कि उसका सम्बन्ध किसी न किसी दल अथवा समूह से अवश्य है और अगर हम "निर्दल व्यक्ति" शब्द का प्रयोग करें तो फिर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिये चुनना ही कठिन हो जायेगा। इसलिये, यद्यपि मैं उनके विशिष्ट संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता, फिर भी मैं यह

[श्री एम.एस. अणे]

सिद्धान्त मानने को तैयार हूं कि एक बार जब वह राष्ट्रपति चुन लिया जाये तो उससे "निर्दल व्यक्ति" होने की आशा की जाती है और उसे अपने दल से अपना सब प्रकार का सम्पर्क तोड़ लेना चाहिये तथा उसे सभी का होकर अथवा किसी का भी न होकर रहना चाहिये। उसे इन दोनों में से एक मार्ग का अवलम्बन करना होगा और उसी हालत में वह उचित रूप से अपना कर्तव्य पालन कर सकेगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकेगा।

***अध्यक्षः** श्री श्रीप्रकाश!

***श्री श्रीप्रकाशः** श्रीमान्, कुछ भाषण सुनने के बाद मुझे पुनः यह कहने को विवश होना पड़ता है, जो कि मैं पहले भी एक और जगह कह चुका हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम कुछ सदस्य चाहते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पास जीविकोपार्जन का अपना कोई प्रत्यक्ष साधन हो। *(हंसी)* श्रीमान्, मेरे विचार में जिस व्यक्ति को हम अपना राष्ट्रपति चुन रहे हैं, उसमें कुछ तो यकीन होना चाहिये। हमें उसे किसी प्रकार भी जकड़ नहीं देना चाहिये। अगर हम किसी व्यक्ति के पेशे को पसन्द नहीं करते तो फिर उसे राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार खड़ा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम उसे पसन्द करते हैं तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिये कि वह राष्ट्रपति के रूप में अपनी तरफ से सर्वोत्तम कार्य करेगा और हमें उसके व्यवसाय को उसके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप जब तक वह राष्ट्रपति है तब तक वकालत करने अथवा डाक्टरी करने से रोकें तो यह बात हमारी समझ में आ सकती है, लेकिन उससे यह आशा करना मुनासिब नहीं है कि चूंकि अब वह राष्ट्रपति बन गया है, इसलिये उसे जीविकोपार्जन के अपने सभी साधनों का परित्याग कर देना चाहिये।

मैं पूछता हूं कि किसी आदमी के लिये यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि यदि उसके पास घर, जमीन, शेयर अथवा कोई और जायदाद हो तो वह किसी के पास धरोहर के रूप में तब तक के लिये अपनी सारी जायदाद रख दे जब तक कि वह फिर से अपने गैर सरकारी जीवन में नहीं पदार्पण कर लेता? आप किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि अपना पदत्याग करने पर उसे अपनी वह सभी जायदाद फिर सही सलामत वापस मिल जायेगी जो उसके पास राष्ट्रपति पद पर आरूढ़ होने से पूर्व थी। हां, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूं कि यदि आप यह व्यवस्था और गारंटी कर दें कि एक बार जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका

होगा उसे अपने शेष जीवन में जीविकोपार्जन के लिये काफी साधन उपलब्ध हो सकेंगे। उस हालत में यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति को उसके सभी अथवा किसी एक व्यवसाय से जिसमें उस पद पर आरूढ़ होने से पूर्व वह था, वंचित करने की बात कहें तो वह मेरी समझ में आ सकती है। यहां तक बहुत दिनों के बाद फिर वकालत करने में वकीलों को भी काफी कठिनाई पेश आती है। मैं विशेष रूप से अपने जैसे व्यक्ति के बारे में बहुत चिन्तित हूं, जिसके पास अपनी कुछ जमीन और जायदाद है *(हंसी)*। जब तक मेरे और आपके प्रान्त में इन जमीदारियों को खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक ऐसे लोगों के लिये–इससे आप यह न समझ लें कि मैं खुद राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार हूं–जिनके पास जमीनें हैं, कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये ताकि वे राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार खड़े हो सकें। इस बारे में कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये ताकि ऐसे लोग, जिनके पास दुर्भाग्य से कुछ जायदादें हैं–इस अधिकार से पूर्णतः वंचित न हो जायें।

श्रीमान्, यह भी मुनासिब नहीं होगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार खड़ा हो, उससे विभिन्न कंपनियों में अपने सभी शेयर घोषित करने को कहा जाये। मान लीजिये कि वह अपने एक-दो गैर मुनाफे वाले शेयर बताना भूल जाये जैसे कि लखनऊ के पत्र "नेशनल हैरल्ड" के शेयर।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): क्या सूचना के तौर पर मैं यह जान सकता हूं कि उन्होंने किस आधार पर यह निश्चित मान लिया है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उसे अपनी सभी प्रकार की सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ेगा?

***श्री श्रीप्रकाशः** मेरा खयाल था कि श्री सन्तानम् का यही उद्देश्य है।

***श्री के. सन्तानम्:** मैं सिर्फ यह चाहता था कि वे अपने शेयर बता दें ताकि हमें भी उनका पता चल जाये।

***श्री श्रीप्रकाशः** श्रीमान्, मेरे विचार में, हमें मुख्यतः इस बात का खयाल रखना चाहिये कि हम किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना रहे हैं। उसकी जायदाद अथवा उसके शेयरों अथवा उसकी और बात से हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिये। अगर हमें उस पर पूरा भरोसा है, तो हमें उस पद के लिये उसे खड़ा करना चाहिये। यदि हमें उस पर विश्वास नहीं तो फिर उसे खड़ा नहीं करना चाहिये।

[श्री श्रीप्रकाश]

यदि आप किसी भिखारी को राष्ट्रपति चुन लें तो वह भी किसी सबसे बड़े शेयर होल्डर अथवा किसी और की भांति बेईमान हो सकता है। ईमानदारी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। ईमानदारी तो कुछ और ही चीज है। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमारा राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति हो, जिस पर कोई आंच न आ सके और वास्तव में देखा जाये तो इसका कोई महत्व नहीं कि उसके पास पहले से कोई जायदाद है या नहीं। मेरी राय में हमें इस तरह की कोई व्यवस्था पेश करके राष्ट्रपति की स्थिति पर किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, यह अपेक्षाकृत आश्चर्य की बात है कि हम ये शब्द श्री श्रीप्रकाश के मुंह से सुन रहे हैं। यह बात नहीं है कि वे संशोधन का कार्यक्षेत्र बिल्कुल गलत समझते हों। यदि वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उन्हें अपनी सम्पत्ति अपने पास ही रखनी चाहिये। लेकिन हम तो यह कल्पना करते हैं कि वे व्यापार मन्त्री बनेंगे। ज्यों ही वे मन्त्री बनें उन्हें शेयर के कारोबार में हिस्सा लेना छोड़ देना चाहिये। अन्यथा, यदि किसी सरकार का व्यापार मंत्री अथवा राष्ट्रपति शेयर बाजार में जाकर कारोबार करेगा तो उसका मतलब यह होगा कि जिस विशिष्ट शेयर को उसने खरीदा है, वह बड़ा पायेदार और टिकाऊ है। हो सकता है कि अगले ही दिन वह उन्हें बेच दे। इस प्रकार शेयरों पर उसका एकाधिकार स्थापित हो जायेगा। हम संघ के राष्ट्रपति को इस प्रकार के अनैतिक कारोबार में भाग लेने की कभी इजाजत नहीं दे सकते-- अनैतिकता कितने ही प्रकार की होती है। श्रीमान्, अब रहा प्रश्न मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम् के संशोधन का, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने शेयरों के सम्बन्ध में घोषणा करे। मेरे मित्र श्री श्रीप्रकाश का कहना है कि हो सकता है कि वह किसी शेयर के सम्बन्ध में सूचना देना भूल जाये। मेरे विचार में वह स्वयं अपने ही मामलों में इतना असावधान नहीं हो सकता। लेकिन वे राष्ट्रपति से अपने मामलों में असावधान बने रहने की आशा करते हैं। जहां तक कारबार का प्रश्न है, यदि वह किस संस्था का अवैतनिक अध्यक्ष अथवा डाइरेक्टर भी है और उसे केवल बैठकों में उपस्थित रहने का भत्ता ही मिलता हो, तब भी जब उसे किसी खास बिल के सम्बन्ध में स्वीकृति देनी होगी, उसे उस बिल को वापस पार्लियामेण्ट में भेज देने का लालच हो सकता है, विशेषकर उस हालत में अगर उन धाराओं का प्रभाव उसके बैंक अथवा कम्पनी पर पड़ता हो। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि

ऐसी कोई खास बात अवश्य पैदा हो जायेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात की आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का ऐसी संस्थाओं से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये।

इसके बाद, श्रीमान्, जहां तक सवाल उसका किसी दल से सम्बन्धित होने का है, यह तब तक असम्भव है, जब तक वह निरा मिट्टी का माधव न हो। उसे किसी न किसी दल से सम्बन्ध रखना ही होगा। चुनाव के बाद उसे अनिवार्य रूप से अपनी पार्टी से अपना सब सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये और उसके प्रति अपनी भक्ति खत्म कर देनी चाहिये। उस सीमा तक तो यह बात तर्कसंगत प्रतीत होती है, लेकिन यह कहना कि उसका सम्बन्ध कतई किसी दल से न होना चाहिये, यह बात अव्यावहारिक प्रतीत होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का पता चले जिसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से न हो, लेकिन मेरा खयाल है कि ऐसा व्यक्ति हमें शायद ही मिल सके। मुझे तो केवल स्कूल का अध्यापक ही ऐसा निर्दल व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन सम्भव है कि वह भी अपने जिला बोर्ड के सभापति के पक्ष में हो, जिसका सम्बन्ध किसी पार्टी से हो। इसलिये किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर आपको निर्दल व्यक्ति का मिलना असम्भव है। इतना ही बहुत काफी होगा अगर वह यूनियन अथवा संघ का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के उपरान्त अपने दल से अपना सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़ दे। श्रीमान्, मैं यह बात बड़ी जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस तरह के प्रतिबन्ध और शर्तें निहायत जरूरी हैं, ताकि शासन प्रबन्ध ठीक से चल सके और उपयुक्त व्यक्ति इस पद के लिये उपलब्ध हो सके।

***अध्यक्षः** अब कोई और वक्ता नहीं रहा। क्या प्रस्तावक महोदय बहस के जवाब में कुछ कहना चाहेंगे?

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** श्रीमान्, राष्ट्रपति के वेतन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मुझे यह बड़ा कठिन प्रतीत होता है कि ऐसे पदों की एक सूची बनाई जाये, जिन्हें वह ग्रहण नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में निःसंदेह खूब सोच-विचार करने के बाद कोई साधारण सिद्धान्त किया जा सकता है, लेकिन बाद में मुख्यतः सारी बात परम्परा पर आश्रित है। अगर आप बड़ी-बड़ी और लम्बी सूचियां तैयार करने लगें तो बहुत मुमकिन है कि कितनी ही बातें छूट जाएं जिन्हें वह कर सकता है। अतः साधारणतः हमें परम्परा पर ही निर्भर रहना होगा। बात तो यह है कि किसी मुनाफे वाले पद से उसका सक्रिय

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

रूप से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। प्रत्यक्ष है कि आजकल के जमाने में अगर वह अच्छा खाता-पीता और संभ्रांत व्यक्ति है तो उसके पास कुछ शेयर अवश्य होंगे, अथवा वह श्री श्रीप्रकाश की भांति जमींदार हो सकता है, अथवा उसके पास कोई और सम्पत्ति हो सकती है। जहां तक मैं जानता हूं श्री श्रीप्रकाश के राष्ट्रपति पद के लिये खड़ा होने में कोई अड़चन नहीं हो सकती और यदि ऐसा हुआ तो नि:संदेह यह एक बड़ा दुर्भाग्य और संकट होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वक्त हमें इस सवाल पर और बहस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे इसी रूप में यहीं छोड़ देना चाहिये। हमें यह सवाल न केवल मसविदा समिति पर छोड़ देना चाहिये, बल्कि परम्पराओं पर भी।

मैं श्री सन्तानम् से एक बात में सहमत हूं, यद्यपि मैं उसे लिखित रूप में पेश करना आवश्यक नहीं समझता, और वह यह है कि किसी व्यक्ति से जो ऊंचे उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर हो, यह कहा जाये कि वह अपने कारबारी सम्पर्क या अपनी सम्पत्ति और शेयर आदि के बारे में किसी प्रकार की घोषणा करे। मेरे खयाल में इससे कोई लाभ नहीं होगा, भले ही वह राष्ट्रपति हो अथवा मन्त्री अथवा कोई और बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति *(वाह, वाह)*। श्रीमान्, मुझे सर एन. गोपालस्वामी आयंगर का संशोधन मंजूर है, जिसमें वाक्यखण्ड 1 का स्पष्टीकरण किया गया है।

मेरा खयाल है कि अब प्रश्न रह जाता है राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का। एक सुझाव यह रखा गया है कि "घटाया" शब्द की जगह कोई और शब्द रखा जाये। बहुत सोच विचार करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि "घटाया" शब्द रखना ही ठीक है। अगर हम चाहते तो "बदला" अथवा "बढ़ाया अथवा घटाया" शब्द भी रख सकते थे लेकिन सभी चीजों का खयाल करके हमने "घटाया" शब्द रखना ही ठीक समझा। यही शब्द हमें सर्वोत्तम जंचा। बात यह है कि धारासभा को अपनी मर्जी के अनुसार जो भी वह चाहे करने का हक है, लेकिन उसे उस व्यक्ति के हितों के खिलाफ अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, जिसे राष्ट्रपति चुना गया हो। जब तक कि पार्लियामेंट न चाहे उसका वेतन अथवा भत्ते बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको पार्लियामेंट को कुछ करने से रोकना नहीं चाहिये, लेकिन सम्भवत: पार्लियामेंट अथवा जनता द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति असम्भव बना देने का थोड़ा खतरा अवश्य है। इसलिये आप कहते हैं कि "घटाया" शब्द नहीं होना चाहिये। इन दिनों कोई नहीं कह सकता कि कब सहसा मुद्रा-बाहुल्य हो जाये और उसका स्थिति पर इतना

अधिक प्रभाव पड़े कि वेतनों और भत्तों के समस्त साधारण मान में परिवर्तन करना जरूरी हो जाये। इसलिये मेरी राय में इन शब्दों के बदलने की कोई जरूरत नहीं है।

अन्त में राष्ट्रपति का किसी दल विशेष से सम्बन्ध न रखने के बारे में पेश किये गये संशोधन का प्रश्न रह जाता है। मैं नहीं जानता कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरी कुछ सहानुभूति क्योंकर है। लेकिन इसके बावजूद भी यह सुझाव मुझे सर्वथा अव्यावहारिक प्रतीत होता है। सदल व्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है? नि:संदेह राजनीतिक निर्वाचन लड़ने के लिये आप बड़े-बड़े दलों और संगठनों की बात सोचते हैं। लेकिन आपके लिये उन सभी को सलाह देना मुश्किल है। कितने ही तरह के दल होते हैं और कोई व्यक्ति इसलिये बुरा नहीं हो जाता कि चूंकि उसका सम्बन्ध किसी बड़ी या छोटी पार्टी से है। मेरा खयाल है कि प्रत्येक व्यक्ति एक न एक वर्ग अथवा संघ से अवश्य सम्बद्ध है। प्रश्न तो यह है कि एक बार राष्ट्रपति चुने जाने पर किसी व्यक्ति को किसी दल से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। उसे दल विशेष से सम्बद्ध होने के रूप में काम नहीं करना चाहिये। समस्त बातों का खयाल रखते हुये ऐसा ही ठीक और युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इस बारे में, मैं खुद भी कोई फैसला नहीं कर सका कि चुनाव के बाद राष्ट्रपति का अपनी पार्टी से किस प्रकार का सम्बन्ध रहना चाहिये। लेकिन यह सवाल उठता ही नहीं। खैर कुछ भी हो, जब यह इतने बड़े पद पर आसीन हो तो उसे, चाहे वह किसी दल का व्यक्ति हो या न हो, पूर्णत: निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिये। उसे अपना काम उसी रूप में करना चाहिये जैसी कि उससे आशा की जाती है। इसलिये, श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं सर एन. गोपालस्वामी आयंगर के संशोधन के अलावा कोई और संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर वोट लूंगा। सबसे पहले मैं मि. नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन पेश करता हूं, जो इस प्रकार है:

"खण्ड 4 के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्न खण्ड रखा जाये:

'(2) राष्ट्रपति संघ अथवा किसी प्रांतीय सरकार अथवा किसी स्थानीय संस्था में अथवा उसके अन्तर्गत अथवा किसी कारबारी संस्था में (चाहे वह रजिस्टर हो चुकी हो या नहीं) कोई अवैतनिक अथवा सवैतनिक पद ग्रहण नहीं करेगा'।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** अब मि. के. टी. एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर का संशोधन पेश किया जाता है कि:

"खण्ड 4 के उपखण्ड (3) में 'जो संघ की पार्लियामेण्ट द्वारा निश्चित कर दिये जायेंगे और जब तक कि...' शब्द द्वारा हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** उक्त सदस्य के नाम में एक और संशोधन भी है, जिसमें कहा गया है कि:

"खण्ड 4 के उपखण्ड (4) में 'घटाया' शब्द की जगह 'परिवर्तन किया' शब्द रखे जाएं।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** एक और संशोधन श्री रामनारायण सिंह की ओर से पेश किया गया है, अर्थात्

वाक्यखण्ड 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-वाक्यखण्ड (5) और जोड़ दिया जाये:

"(5) राष्ट्रपति निर्दल व्यक्ति होना चाहिये।"

***श्री रामनारायण सिंहः** मैं अपना संशोधन आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

अध्यक्षः मैं यह मान लेता हूं कि सभा उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत देती है।

***माननीय सदस्यः** हां, बेशक।

सभा की मर्जी से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** सर एन. गोपालस्वामी आयंगर द्वारा यह संशोधन पेश किया गया है कि:

"खण्ड 4 के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्न खण्ड रखा जाये:

'राष्ट्रपति पार्लियामेण्ट अथवा किसी अन्य धारासभा का सदस्य नहीं होगा और यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जायेगा तो वह पार्लियामेंट अथवा सम्बद्ध धारासभा का सदस्य नहीं रहेगा'।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** अब संशोधित प्रस्ताव आपके सामने राय देने के लिये पेश किया जाता है।

संशोधन सहित खण्ड 4 स्वीकृत हो गया।

खंड 5

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** श्रीमान्, मैं खण्ड 5 पेश करता हूं–आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये चुनाव सम्बन्धी उचित नियम बना देने चाहियें। सभी आकस्मिक तथा सामान्य चुनावों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रणाली के नियमन का भार संघीय पार्लियामेंट के कानून पर छोड़ देना चाहिये।

बशर्ते कि:

"(अ) आकस्मिक रूप से रिक्त होने वाले स्थान के लिए चुनाव यथासंभव शीघ्र और किसी भी हालत में 6 महीने से पूर्व ही होना चाहिए।

(ब) आकस्मिक रिक्त स्थान के लिये चुना जाने वाला राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकेगा।"

इस सम्बन्ध में प्रयुक्त "रिक्त" शब्द का प्रयोग श्रीमान्, बहुत प्रसन्नता के साथ नहीं किया गया, लेकिन विभिन्न स्थलों से उसे हटा देने के सम्बन्ध में, मैं संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों को लेता हूं।

[श्री वी. एस. गुप्ते (संख्या 151), श्री ए. के. घोष (संख्या 152), श्री राजकृष्ण बोस (संख्या 152-अ), श्री विश्वनाथदास (संख्या, 153 और 154), और श्री एस. नगाप्पा (संख्या 155) ने कोष्टकों में उल्लिखित अपने संशोधन संख्या 151 से 155 तक पेश नहीं किये।]

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 की धारा (ब) में से "चुनाव में" शब्द हटा दिये जायें। श्रीमान्, इसका सम्बन्ध मुख्यत: मसविदे से है और इसे अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिये। उक्त धारा में कहा गया है कि:

"चुनाव में निर्वाचित राष्ट्रपति....."

"चुनाव में" शब्द व्यर्थ हैं, क्योंकि वह तो निर्वाचित हो चुका है। इस तथ्य से कि वह ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति "निर्वाचित" हुआ है, स्पष्ट हो जाता है कि वह चुनाव में ही चुना गया है। जब आप यह कहते हैं कि राष्ट्रपति के

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

रूप में "निर्वाचित" तो "चुनाव में" शब्द तो उसी में अन्तर्निहित हैं और इसलिये ये शब्द व्यर्थ हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मेरे संशोधन का सम्बन्ध केवल मसविदे से है, इसलिये प्रत्यक्ष कारणों के आधार पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

(श्री के. चेंगलारय्या रेड्डी, श्री शिब्बनलाल सक्सेना, श्री गोकुलभाई डी. भट्ट, श्री डी. एच. चन्द्रशेखरिया और श्री सी. सुब्रह्मण्यम् ने क्रमशः अपने संशोधन संख्या 158, 159, 161, 162 और 163 पेश नहीं किये।)

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः** श्रीमान्, माननीय प्रस्तावक ने इस खण्ड के अन्तर्गत "आकस्मिक रिक्त स्थान" शब्दों के प्रयोग के बारे में पहले ही उल्लेख कर दिया है। इन शब्दों की वजह से बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी हो गया है। आकस्मिक रिक्त स्थान साधारणतः ऐसे रिक्त स्थान होते हैं जो किसी खास पद के लिये निर्धारित अवधि के दौरान में घटित हो जाते हैं और जब उनकी पूर्ति की जाती है तो जो व्यक्ति उन पदों पर नियुक्त किया जाता है, उसे केवल शेष अवधि तक के लिये ही उस पद पर समझा जाता है। लेकिन इस वाक्यखण्ड का सम्पूर्ण उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति रिक्त स्थान के लिए चुना जायेगा वह पूरे कार्यकाल के लिये चुना जायेगा, इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि इस वाक्यखण्ड का मसविदा इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिये कि उससे यह उद्देश्य और इरादा और अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट होता हो, जैसा कि उसके वर्तमान शब्दों से प्रकट नहीं होता। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि:

"खण्ड 5 के स्थान पर निम्न खण्ड रखा जाये:

'5. राष्ट्रपति पद के लिये आकस्मिक रिक्त स्थान'।"

राष्ट्रपति पद के लिये आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये उचित व्यवस्था की जानी चाहिये, चाहे वह स्थान उस पद की निर्धारित अवधि से पूर्व या बाद में खाली हो, चुनाव सम्बन्धी विस्तृत प्रणाली का नियमन संघीय पार्लियामेंट के कानून पर छोड़ देना चाहिये।

बशर्ते कि उस हालत में अगर कोई स्थान विशिष्ट पद की निर्धारित साधारण अवधि के समाप्त होने से पूर्व खाली हो जाए तो,

(अ) रिक्त होने वाले स्थान की पूर्ति के लिये चुनाव उसके बाद यथासम्भव शीघ्र और अधिक से अधिक 6 महीने बाद अवश्य हो जाना चाहिये, और

(ब) आकस्मिक रूप से रिक्त होने वाले स्थान के लिये चुना जाने वाला राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकेगा।

मेरे विचार में इसे स्पष्ट करने के लिये और अधिक शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है।

***अध्यक्षः** संशोधन पेश किये जा चुके हैं। अब प्रस्ताव तथा उसके सम्बन्ध में पेश किये गये संशोधनों पर बहस की जा सकती है।

***श्री जगत नारायण लाल** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मुझे श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना है। उनका खयाल है कि उन्होंने जो तरमीम पेश की है, उसका सम्बन्ध केवल मसविदे से है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। वास्तव में रिक्त स्थान की पूर्ति कितने ही तरीकों से की जा सकती है। यदि रिक्त स्थान की पूर्ति नियमित चुनाव की बजाय किसी और तरीके से, जैसे कि नामजदगी या किसी दूसरे तरीके से की जाती है तो चुना जाने वाला पूरी अवधि तक उस पद पर बने रहने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिये, श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा पेश किया गया संशोधन मंजूर नहीं किया जा सकता।

***अध्यक्षः** इस प्रस्ताव पर और कोई नहीं बोलना चाहता। प्रस्तावक महोदय अब बहस का जवाब दे सकते हैं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मुझे सर एन. गोपालस्वामी आयंगर का संशोधन स्वीकार है। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** तो अब मैं संशोधन पर राय लेता हूं। संशोधन यह है कि:

"खण्ड 5 की धारा (ब) में से 'चुनाव में' शब्द हटा दिये जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** अब रहा सर एन. गोपालस्वामी आयंगर का संशोधन। उसे प्रस्तावक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन सभा को उसे मंजूर करना अभी बाकी है।

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** तो यह संशोधन अब एक पृथक् और स्वतंत्र वाक्खण्ड बन गया है।

अब मैं संशोधित खण्ड 5 पर राय लेता हूं।

संशोधन सहित खण्ड 5 स्वीकार कर लिया गया।

अब ठीक एक बज चुका है। सभा कल सुबह 10 बजे तक के लिये स्थगित रहेगी।

इसके बाद सभा शुक्रवार, 25 जुलाई, 1947 को प्रातःकाल 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।